LOAN AGREEMENT / ऋण समझौता

< Lender Name > a company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at < Lender Address > (hereinafter referred to as the "Lender") is a Non-Banking Finance Company regulated by Reserve Bank of India and and is inter-alia engaged in the business of providing financial assistance in the form of various loan products to its customers.

<Lender Name> कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय
<Lender Address> (इसके बाद "ऋणदाता" के रूप में संदर्भित) कंपनी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और द्वारा विनियमित एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी माना जाता है। बैंक अन्य कार्यों के साथ-साथ अपने ग्राहकों को विभिन्न ऋण उत्पादों के रूप में वितीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है।

WHEREAS at the request of the Borrower, the Lender has agreed to advance a loan to the Borrower not exceeding the amount as stated in the **Schedule** hereto on the terms and conditions as detailed in the present Loan Agreement ("**Loan Agreement**") with the documentation and communication being communicated electronically.

जबिक ऋणी के अनुरोध पर, ऋणदाता वर्तमान ऋण समझौता ("ऋण समझौता") में विस्तृत नियमों और शर्तों पर उधारकर्ता को निर्धारित अनुसूची में उल्लिखित राशि ऋण देने के लिए सहमत प्रदान की है। दस्तावेज़ीकरण और संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा रहा है।

The Loan is facilitated through the Digital Lending Application, "BharatPe" as a result of an arrangement between the Lender and Resilient Digi Services Private Limited (formerly known as Resilient TechServ Private Limited) ("Lending Service Provider").

ऋणदाता और रेजिलिएंट डिजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले रेजिलिएंट टेकसर्व प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("ऋण सेवा प्रदाता") के बीच एक समझौते के परिणामस्वरूप डिजीटल ऋण आवेदन, "BharatPe" के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

DEFINITIONS AND REFERENCE TERMS परिभाषाएँ और संदर्भित की शर्तें

The following words/expressions shall carry the meaning ascribed to them throughout the Terms & Conditions unless otherwise stated.

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, निम्नलिखित शब्दों/अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो पूरे नियम और शर्तों में दिया गया है।

- A. "Borrower" means a person (details whereof as mentioned in the Schedule hereto), to whom the Loan has been sanctioned and/or disbursed by the Lender. The expression Borrower shall include his/her heirs, executors and administrators respectively.
 - "ऋणी" उस व्यक्ति को संदर्भित करता है (जिसका विवरण यहां अनुसूची में उल्लिखित है) जिसे ऋणदाता ने ऋण देना स्वीकृत और/या वितरित किया है। ऋणी में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक, जैसा लागू हो, शामिल होंगे।
- B. "CIC" means credit information companies registered under the Credit Information Companies (Regulations) Act, 2005.
 - शब्द "सीआईसी" उन क्रेडिट सूचना फर्मों को संदर्भित करता है जिन्हें क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियम) अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत किया गया है।

- C. "Data Protection Law" means all applicable statutes and regulations pertaining to the processing of Personal Data, including but not limited to the privacy and security of Personal Data.
 - "डेटा संरक्षण कानून" व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग से संबंधित सभी लागू कानूनों और विनियमों को संदर्भित करता है, जिसमें व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और सुरक्षा शामिल है, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- D. "Equated Daily Instalment" /"EDI" or "Instalment" means the daily amount payable as mentioned in the Schedule, which amount shall include both the interest and principal and any other applicable charges payable over the Loan Term. The interest will accrue on daily basis and EDI amount is arrived based on accrued interest and principal repayable throughout the Loan Term.
 - शब्द "समान दैनिक किस्त"/"ईडीआई" या "किस्त" अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार देय दैनिक राशि को संदर्भित करता है, जिसमें राशि में ब्याज और मूलधन दोनों के साथ-साथ ऋण अवधि के दौरान देय कोई अन्य लागू शुल्क शामिल होंगे। ब्याज दैनिक आधार पर जमा किया जायेगा और ईडीआई राशि की गणना देय ब्याज और ऋण अवधि के दौरान देय योग्य मूलधन का उपयोग करके की जाती है।
- E. "Loan" or "Loan Amount" means the loan amount sanctioned to the Borrower and as detailed in the Schedule hereto.
 - शब्द "ऋण" या "ऋण राशि" ऋणी को स्वीकृत ऋण राशि को संदर्भित करता है और जिसका उल्लेख अनुसूची में किया गया है।
- F. "Loan ID" shall mean the identification number mentioned in the loan documents, in the Sanction Letter.
 - शब्द "ऋण आईडी" ऋण दस्तावेजों और स्वीकृति पत्र में निहित पहचान संख्या को संदर्भित करता है।
- G. "NACH" means National Automated Clearing House implemented by the National Payments Corporation of India for Banks, Financial Institutions a web-based solution to facilitate interbank, high volume, electronic transactions which are repetitive and periodic in nature.
 - "एनएसीएच" का अर्थ नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस है, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कार्यान्वित एक वेब-आधारित प्रणाली है जो बैंकों और वितीय संस्थानों को इंटरबैंक, उच्च मात्रा, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन करने में सक्षम बनाती है जो प्रकृति में आवर्ती और साविध होते हैं।
- H. "Other Charges" means but shall not be limited to stamp duty, pre-payment charges, levies, cheque bouncing charges, incidental and other charges/fees and other administrative expenses, liquidated damages, any Tax levied by/payable to any Governmental Authority and other dues payable by the Borrower from time to time. It shall also include the expenses incurred by Lender in recovering its dues, besides any out of pocket expenses and as more particularly mentioned in the **Schedule** hereto.
 - "अन्य शुल्कों" में स्टाम्प शुल्क, पूर्व-भुगतान शुल्क, लेवी, चेक बाउंस शुल्क, आकस्मिक और अन्य शुल्क/फीस और अन्य प्रशासनिक व्यय, परिसमाप्त क्षिति, किसी भी सरकार प्राधिकरण द्वारा लगाया/देय कोई भी कर या ऋणी द्वारा देय अन्य बकाया जिसका भुगतान समय समय पर उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होगा नहीं है। इसमें अपनी पास से किए गए किसी भी खर्च के अलावा ऋणदाता द्वारा अपने ऋणों की वसूली में किए गए व्यय भी शामिल होंगे, जैसा कि यहां अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, भी शामिल होंगे।

- I. "Outstanding Amount" means and includes the loan amount outstanding at any point of time, including principal loan amount, interest, costs, Fee, Other Charges, expenses, etc.
 - "बकाया राशि" उस ऋण राशि को संदर्भित और शामिल करती है जो किसी भी समय अभी भी देय है, जिसमें मूल ऋण राशि, ब्याज, लागत, शुल्क, अन्य शुल्क, व्यय आदि शामिल हैं।
- J. "Offline PA" means Resilient Innovations Private Limited, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 having its registered office at 3rd Floor, Ramnath House, 18, Community Center, Opp. Jet Airways, Yusuf Sarai, New Delhi-110049 and corporate office at Building No. 8, Tower C, 7th & 12th Floor, DLF Cyber City, Gurgaon, including any of its successors, transferees and permitted assigns, which acts as an offline payment aggregator for the Borrower and the Lender"
 - "ऑफलाइन पीए" का तात्पर्य रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड से है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल, रामनाथ हाउस, 18, सामुदायिक केंद्र, जेट एयरवेज के सामने, यूसुफ सराय, नई दिल्ली-110049 और कॉपॉरेट कार्यालय बिल्डिंग नंबर 8, टॉवर सी, 7वीं और 12वीं मंजिल, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, साथ ही इसके किसी भी उत्तराधिकारी, स्थानांतरित व्यक्ति, और स्वीकृत असाइनमेंट शामिल हैं, जो ऋणी और ऋणदाता के एग्रीकेटर के रूप में कार्य करता है।"
- K. "Penal Charges" shall mean the penal charge levied by the Lender due to the delay in payments by the Borrower as specified in the Sanction Letter or as communicated by the Lender
 - "दंड शुल्क " का अर्थ ऋणदाता द्वारा स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट या ऋणदाता द्वारा बताए अनुसार समय पर भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप लगाया गया दंडात्मक जुर्माना होगा।
- L. **"Personal Data"** shall mean personal data of the Borrower including sensitive personal data as may be defined under Data Protection Law.
 - "ट्यक्तिगत डेटा" का अर्थ है ऋणी का व्यक्तिगत डेटा, जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा भी शामिल है जैसा कि डेटा संरक्षण कानून दवारा परिभाषित किया जा सकता है।
- M. "**Pre-Payment**" Part payment" means the premature repayment of part or the entire Loan including the Rate of Interest, fee, and other charges, according to the terms as detailed in this Terms & Conditions, through any mode as approved by the Lender.
 - "पूर्व-भुगतान"/"आंशिक भुगतान" का तात्पर्य किसी भी माध्यम से ऋणदाता द्वारा स्वीकृत इन मापदंडों और शर्तों में उल्लिखित मापदंडों के अनुसार ब्याज दर, शुल्क और अन्य शुल्कों सिहत एक हिस्से या पूर्ण ऋण की समयपूर्व प्नर्भगतान/अदायगी/च्कौती/शीघ्र वापसी से है।
- N. "RBI" means Reserve Bank of India.
 - "आरबीआई" का तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक है।
- O. **"Sanction Letter"** means the letter issued by the Lender sanctioning the Loan Amount along with the relevant particulars, terms & conditions mentioned in the same.
 - "स्वीकृति पत्र" का तात्पर्य ऋणदाता द्वारा जारी ऋण राशि की स्वीकृति देने के साथ-साथ उसमें शामिल आवश्यक विवरण, नियम और शर्तों को स्वीकृति देने वाले पत्र को संदर्भित करता है।
- P. "Settlement Amount" means the total amount collected and payable (after adjustment of the applicable service charges) by the Offline PA to the Borrower on account of transactions carried out on UPI, POS machines and/or or such other products offerings made available to the Borrower through the

- "निपटान राशि" का तात्पर्य यूपीआई, पीओएस मशीनों और/या ऋणी के लिए सुलभ बनाए गए अन्य उत्पादों पर किए गए लेनदेन के कारण ऑफलाइन पीए के माध्यम से ऋणी को एकत्रित और देय (प्रासंगिक सेवा लागतों के समायोजन के बाद) पूरी राशि को संदर्भित करता है।
- Q. "Digital Lending Application" or "DLA" shall mean shall refer to the mobile based application/platform namely "BharatPe" operated by the Lending Service Provider from time to time:
 - "डिजीटल ऋण आवेदन" या "डीएलए" तात्पर्य मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन/प्लेटफॉर्म "BharatPe" को संदर्भित करता है जिसे ऋण सेवा प्रदाता समय-समय पर संचालित करता है;
- R. "Transaction Documents" means any of the following as the context may require, i.e. this Terms & Conditions, Sanction Letter or any other document executed by the Borrower in favour of Lender.
 - "लेन-देन दस्तावेज़" का तात्पर्य परिस्थितियों के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक को संदर्भित करता है, अर्थात् ये नियम और शर्तें, मंजूरी पत्र, या ऋणदाता द्वारा ऋणदाता के पक्ष में निष्पादित किया गया कोई अन्य दस्तावेज।

2. INTERPRETATION

व्याख्या

- (i) the singular includes the plural (and vice versa) and words denoting one gender shall include all genders;
 - एकवचन शब्दों में बहुवचन शब्द (और इसके विपरीत) शामिल होते हैं, जबिक एक लिंग को दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग शामिल होंगे;
- (ii) all capitalized terms used but not specifically defined herein shall have the respective meaning ascribed to them under the Sanction Letter and other clauses in this Terms & Conditions. यहां उपयोग किए गए लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों में वाक्यांशों का वही अर्थ होगा जो उन्हें स्वीकृति पत्र और इन वाक्यांशों और शर्तों के अन्य प्रावधानों में दिया गया है।

3. LOAN, INTEREST, TAXES ETC.

ऋण, ब्याज, कर आदि।

- **3.1** At the request of the Borrower the Lender agrees to extend the Loan to the Borrower and the Borrower hereby agree to avail from the Lender the Loan on the terms and conditions contained in the present Loan Terms & Conditions.
 - ऋणदाता, ऋणी के अनुरोध पर उसे ऋण देने का वचन देता है, और ऋणी वर्तमान ऋण शर्तों और परिस्थितियों में निर्धारित नियमों और परिस्थितियों पर ऋणदाता से ऋण प्राप्त करने के लिए सहमत होता है।
- **3.2** The Loan Term shall be the period as stated in the Schedule or the Sanction Letter or the period as revised/increased by Lender, from time to time, at its sole discretion, or due to any regulatory scheme or package and/or any other reason as the Lender may deem fit (hereinafter referred to as the "Loan Term" or "Tenure" or "Tenor").
 - ऋण अवधि अनुसूची या स्वीकृति पत्र में बताई गई अवधि होगी, या समय-समय पर ऋणदाता द्वारा अपने विवेक पर, या किसी नियामक योजना या पैकेज के कारण, और/या किसी अन्य कारण से संशोधित/बढ़ाई गई अवधि है, जैसा कि ऋणदाता उचित समझे (इसके बाद इसे "ऋण अवधि" या "कार्यकाल" या "अवधि") के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- **3.3** The Lender has authorized / may authorize the Lending Service Provider to perform one or more of following activities as part of the facilitation services ("Loan Facilitation Services") through their Digital Lending Application and/or their Lending Service Provider: (a) Assisting the

Borrower making an application for the Loan from the Lender and submission of the required documents for availing the Loan (b) assisting in collections for the Loan through such means as may be authorized by the Lender (c) assisting in loan servicing such as providing details of the loans/repayments/due amounts to the Borrower and/or resolving any queries/complaints/clarifications with respect to Loan and/or coordinate with the Lender for providing any information with respect to the Loan (d) act as a recovery agent for contacting the Borrower in case of default in repayment of the Loan (e) such other Loan Facilitation Services as may be agreed between the Lender and the Lending Service Provider from time to time and notified to the Borrower.

ऋणदाता ने अपने डिजीटल ऋण आवेदन और/या ऋण सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा सेवाओं ("ऋण सुविधा सेवाएं") के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए ऋण सेवा प्रदाता को अधिकृत किया है/अधिकृत कर सकता है: (a) सहायता करना ऋणी को ऋणदाता से ऋण के लिए आवेदन करना होगा और ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे, (b) ऐसे माध्यमों से ऋण वसूली में सहायता करना जो ऋणदाता अधिकृत कर सकता है (c) ऋण सेवा में सहायता करना जैसे कि ऋणी को ऋण/भुगतान/बकाया राशि का विवरण प्रदान करना और/या इसके संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत/स्पष्टीकरण का समाधान करना ऋण और/या ऋण के संबंध में कोई भी जानकारी प्रदान करने के लिए ऋणदाता के साथ समन्वय करना और/या ऋण के संबंध में कोई भी जानकारी प्रदान करने के लिए ऋणदाता के साथ समन्वय करना (d) इसके लिए एक वसूली एजेंट के रूप में कार्य करना ऋण के पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती में चूक के मामले में ऋणी से संपर्क करना (e) ऐसी अन्य ऋण सुविधा सेवाएं प्रदान करें जिन पर ऋणदाता और ऋण सेवा प्रदाता के बीच समय-समय पर सहमित हो और ऋणी को सुचित किया जाए।

3.4 The Lender has entered into an arrangement with the Offline PA, for assisting in loan repayments.
ऋणदाता ने ऋण प्नर्भ्गतान/अदायगी/च्कौती में सहायता के लिए ऑफलाइन पीए के साथ एक

व्यवस्था की है।

3.5 Rate of Interest

ब्याज दर

- a) The Borrower shall be liable to pay interest on the Loan at such rate as specified in the **Schedule hereto** ("**Rate of Interest**"). The Rate of Interest mentioned in the Schedule is a fixed rate. Provided that the Lender shall, subject to applicable directives of the RBI/ NHB, be entitled to revise the Rate of Interest at its sole discretion. Any such change in the Rate of Interest shall be prospective in nature, i.e., such revised Rate of Interest shall be levied on and from the date such change has been made to the Rate of Interest.
 - ऋणी अनुसूची में दी गई दर ("ब्याज दर") पर ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत है। अनुसूची में उल्लिखित ब्याज की एक निर्धारित दर है। बशर्ते कि ऋणदाता को आरबीआई/एनएचबी के किसी भी निर्देश के अधीन, अपने विवेक से ब्याज दर को संशोधित करने का हकदार होगा। ब्याज दर में ऐसा कोई भी संशोधन प्रकृति में संभावित होगा, अर्थात, ऐसी संशोधित ब्याज दर उसी दिन से लागू की जाएगी जिस दिन ब्याज दर में ऐसा परिवर्तन किया जायेगा।
- b) Interest shall be computed on the basis of a year of actual number of days in a month divided by three hundred and sixty (360) days for broken period of month. If leap year, then actual number of days in a month divided by three hundred and sixty six days (366) days for broken period of month. If the Instalment is to be paid in the frequency of less than a month then the interest shall be calculated on the actual number of days for the said month.

ब्याज की गणना एक वर्ष में विभाजन अविध महीने के दिनों की वास्तविक संख्या को तीन सौ साठ (360) दिनों से विभाजन के आधार पर की जाएगी। यदि वर्ष एक लीप वर्ष है, तो महीने की विराम अविध के लिए महीने में दिनों की वास्तविक संख्या को तीन सौ छियासठ दिनों (366) से विभाजित किया जाता है। यदि किस्त का भुगतान एक महीने से कम समय में किया जाना है, तो ब्याज की गणना उक्त महीने के दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाएगी।

- c) Interest shall begin to accrue in favour of the Lender as and from the date of Disbursement. संवितरण की तारीख से ऋणदाता के पक्ष में ब्याज प्राप्त होना श्रूक हो जाएगा।
- d) Any delay or default in payment of Instalment besides constituting an Event of Default, shall render the Borrower liable to pay to Lender, Late Payment Charges as mentioned in the Schedule (for the period of such default) on the amount in default.
 - चूक की स्थिति बनाने के अलावा, किस्त के भुगतान में कोई देरी या डिफॉल्ट, ऋणी को डिफॉल्ट राशि पर अनुसूची में निर्दिष्ट (ऐसी डिफॉल्ट की अविध के लिए) ऋणदाता विलम्ब शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।
- e) The Borrower confirms that the Borrower has perused and understood the manner of calculation of the interest, Penal Charges, Instalment and any other costs/charges payable with respect to the Loan, and the Borrower is satisfied that the same is not anti-competitive, usurious, unreasonable, discriminatory, predatory, or otherwise amounting to profiteering or acts of uncommercial or in breach of Applicable Law.
 - ऋणी पुष्टि करता है कि ब्याज की गणना का तरीका, दंड शुल्क, किस्त, और ऋण के संबंध में देय किसी भी अन्य लागत/प्रभार को ऋणी द्वारा पढ़ा और समझा गया है, और ऋणी संतुष्ट है कि यह विरोधी नहीं है और प्रतिस्पर्धी, सूदखोर, अनुचित, भेदभावपूर्ण, शिकारी, या अन्यथा मुनाफाखोरी या गैर-व्यावसायिक कार्य या लागू कानून के अनुरूप है।
- f) Any dispute, including that relating to the interest computation, shall not entitle the Borrower to withhold payment demanded by the Lender and/or payment of any Instalment. The repayment schedule for the Loan is without prejudice to the rights of the Lender to recompute the interest, in case of any variation of the same. On such re-computation, payments shall be made by the Borrower in accordance with such amended repayment schedule(s), as may be intimated by the Lender to the Borrower. Borrower agrees that the decision of the Lender on computation of Instalment or interest computation is final and legal binding upon the Borrower and the Borrower shall pay the Instalment interest along with principal amount without any protest or demure.

किसी भी असहमित, जिसमें ब्याज की गणना से संबंधित असहमित भी शामिल है, ऋणी को ऋणदाता द्वारा मांगे गए भुगतान और/या किसी भी किस्त के भुगतान को रोकने की अनुमित नहीं देगी। ऋण के लिए पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती अनुसूची में किसी भी बदलाव की स्थिति में ब्याज की पुनर्गणना करने के ऋणदाता के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऋणी द्वारा भुगतान संशोधित पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती अनुसूची के अनुसार किया जाएगा जिसके बारे में ऋणदाता द्वारा ऋणी को सूचित किया जा सकता है। ऋणी स्वीकार करता है कि किस्त या ब्याज गणना पर ऋणदाता का निर्णय अंतिम है और ऋणी पर कानूनी बाध्यकारी है, और ऋणी बिना किसी विरोध या आपित के मूल राशि के साथ किस्त ब्याज का भुगतान करने का वचन देता है।

g) The Terms & Conditions entered into between the Lender and the Borrower is purely a financial arrangement, and the Lender shall not be liable to the Borrower for any liability, claim, loss, or expense of any kind caused directly or indirectly to the Borrower.

ऋणदाता और ऋणी के बीच सहमत नियम और शर्तें पूरी तरह से वितीय प्रकृति की हैं, और

ऋणदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋणी के साथ हुई किसी भी जिम्मेदारी, दावे, हानि या किसी भी प्रकार के व्यय के लिए ऋणी के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

3.6 Disbursement of Loan

ऋण संवितरण

- A disbursement under theseTerms & Conditions shall mean any payment of the Loan Amount, or any part thereof, made by the Lender to the Borrower or any person advised by the Borrowervia RTGS transfer/ NEFT/ DD/ electronic mode of payments or by cheque in duly crossed and marked "A/c Payee Only" and the charges, if any, in respect of all such mode of payments shall be borne by the Borrower("Disbursement").
 - इन नियमों और शर्तों के तहत संवितरण का मतलब ऋण राशि या उसके किसी भी हिस्से का कोई भी भुगतान होगा, जो ऋणदाता द्वारा ऋणी या ऋणी को आरटीजीएस हस्तांतरण / एनईएफटी / डीडी / भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड या विधिवत चेक द्वारा सलाह दी गई है। "केवल आदाता खाता" को रेखांकित करें और भुगतान के ऐसे सभी तरीकों के संबंध में श्ल्क, यदि कोई हो, ऋणी ("संवितरण") द्वारा वहन किया जाएगा।
- Notwithstanding anything contained in this Terms & Conditions, Interest shall begin to accrue in favour of the Lender as and from the date of the Disbursement. Disbursements shall be deemed to have been made to the Borrower on the date on which the Loan amount is transferred by the Lender to the designated account by RTGS/NEFT or any other mode, as the case may be.
 - इन नियमों और शर्तों में किसी भी अन्य बात के बावजूद, संवितरण की तिथि पर ऋणदाता के पक्ष में ब्याज प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन ऋणी आरटीजीएस/एनईएफटी या किसी अन्य तंत्र, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से निर्दिष्ट खाते में ऋण राशि स्थानांतरित करता है, उस दिन ऋणी को भुगतान किया गया माना जाता है।
- c) The Loan Amount, or any part thereof, shall be disbursed as requested by the Borrower and agreed by Lender. The Lender at its sole discretion may not disburse at any time, any further amount under the Loan, unless the conditions stipulated in Sanction Letter and/or as mentioned hereto are complied with the Borrower to the satisfaction of the Lender and the Lender reserves the right to revoke, cancel the Loan and/or vary, modify, amend at any time the Terms & Conditions of the Loan with such notice to the Borrower.
 - ऋण राशि, या उसका एक हिस्सा, ऋणी के अनुरोध और ऋणदाता द्वारा सहमित के अनुसार संवितिरत किया जाएगा। ऋणदाता किसी भी समय ऋण के तहत कोई और राशि संवितिरत नहीं कर सकता है जब तक कि स्वीकृति पत्र में निर्धारित शतों और/या जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, ऋणदाता द्वारा ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार अनुपालन नहीं किया जाता है, और ऋणदाता इसे रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी समय ऋणी को ऐसे नोटिस के साथ ऋण के नियमों और शतों को रद्द करें, और/या बदलें, परिवर्तित और संशोधित करें।
- d) Any disbursal request made by the Borrower shall form an integral part of this Terms & Conditions. The Borrower undertakes to acknowledge the receipt of Disbursement in the form acceptable to Lender. Each of the Borrower authorise the other Borrower to make such disbursal request for and on behalf of the other Borrower. Where the Loan is being availed by multiple Borrowers, any disbursal request made by either of the Borrower shall be binding on the other Borrower and the Lender shall make the Disbursement in accordance with such disbursal request. Any Disbursement made pursuant to such request shall not be questioned by any of the Borrower.

ऋणी द्वारा किया गया कोई भी संवितरण अनुरोध इन नियमों और शर्तों में शामिल किया जाएगा। ऋणी ऋणदाता को स्वीकार्य फॉर्म में संवितरण की प्राप्ति की पृष्टि करने के लिए सहमित देता है। प्रत्येक ऋणी दूसरे ऋणी को अपनी ओर से इस तरह के संवितरण अनुरोध करने के लिए अधिकृत करता है। जब कई ऋणी ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो ऋणी व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा किया गया कोई भी संवितरण अनुरोध दूसरे ऋणी पर अनिवार्य होता है, और ऋणदाता अनुपालन में संवितरण करेगा। ऐसे अनुरोध के अनुसार किए गए किसी भी संवितरण पर किसी भी ऋणी द्वारा च्नौती नहीं दी जाएगी।

- e) The Lender may, at the request of the Borrower in writing& at its discretion and subject to such further conditions as may be specified by the Lender, make Disbursements in favour of athird party ("Third Party"). The Borrower hereby confirms that such Third Party shall be fully authorized to accept the Disbursement for and on behalf of the Borrower. The Borrower hereby acknowledges that such a Disbursement shall be considered as a Disbursement to the Borrower in relation to the Loan.
 - ऋणदाता ऋणी के लिखित अनुरोध और विवेक पर, और ऋणदाता द्वारा बताए गए किसी भी अतिरिक्त शर्तों के अधीन किसी तीसरे पक्ष ("थर्ड पार्टी") के पक्ष में संवितरण कर सकता है। ऋणी इसके द्वारा प्रमाणित करता है कि ऐसा तीसरा पक्ष ऋणी की ओर से संवितरण स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत होगा। ऋणी इस बात से सहमत है कि इस तरह के संवितरण को ऋण के संबंध में ऋणी को संवितरण माना जाएगा।
- f) Borrower furtherconfirmthat the Lender shall havenoresponsibilityorobligationwhatsoeverforDisbursementofthe Loaninfavourof the Third Party and the Borrower shall be responsible to repay the Loan in full in accordance with these Terms & Conditions.

 ऋणी अतिरिक्त रूप से पुष्टि करता है कि तीसरे पक्ष के पक्ष में ऋण के संवितरण के लिए ऋणदाता का कोई कर्तव्य या दायित्व नहीं होगा, और ऋणी इन नियमों और शर्तों के अनुरूप ऋण की पूरा आदायगी के लिए उत्तरदायी होगा।
- g) Lender shall be entitled, at its sole discretion, to advance or postpone any Disbursement, either at the request of the Borrower, or otherwise.

 ऋणदाता अपने विवेक से, किसी भी संवितरण में तेजी लाने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, चाहे ऋणी द्वारा अनुरोध किया गया हो अथवा नहीं।

4. PAYMENTS

भ्गतान/चुकौती

4.1 Repayment

धन वापसी / कर्ज अदायगी

a. The Borrower shall repay the Loan along with interest and other charges to Lender in such amounts and number of installments and on the due date(s) as is specified in the **Schedule** hereto ("**Installment(s)**"). Lender shall be entitled to vary/modify the number of Installment(s) or increase/ decrease the amount payable for one or more Installment(s)) in the event of change to the applicable Rate of Interest on the Loan or change in the Loan amount or due to any regulatory scheme or package and/or any other reason as the Lender may deem fit.

ऋणी को ब्याज और अन्य शुल्कों सिहत ऋणदाता को यहां अनुसूची ("किस्त/किस्तों") में प्रदान की गई राशि और किस्तों की संख्या में ऋण का भ्गतान करना होगा। ऋण पर लागू

- ब्याज दर में बदलाव या परिवर्तन की स्थिति में ऋणदाता किस्तों की संख्या को बदलने/संशोधित करने या एक या अधिक किस्तों के लिए देय राशि को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऋण राशि, या किसी नियामक योजना या पैकेज के कारण, और/या किसी अन्य कारण से जो ऋणदाता उचित समझे।
- b. The Borrower agrees and gives an irrevocable, unconditional and express consent to the Offline PA to deduct the applicable Instalments as per the agreed frequency and/or any other dues stated under the Loan Documents. The Offline PA, upon receipt of such instructions from the Lender, shall deduct the due amounts from the Settlement Amount and transfer such due amounts to the Lender's bank account against repayment of the loan availed by the undersigned vide the above-mentioned Loan ID.
 - ऋणी स्वीकार करता है और स्पष्ट रूप से ऑफलाइन पीए को सहमत आवृत्ति पर उचित किश्तों और/या ऋण दस्तावेजों में निर्धारित किसी भी अन्य बकाया राशि में कटौती करने के लिए अधिकृत करता है। ऋणदाता से ऐसे निर्देश प्राप्त होने पर, ऑफ़लाइन पीए निपटान राशि से देय राशि काट लेगा और उपर्युक्त ऋण आईडी का उपयोग करके अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त ऋण पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती के बदले में ऐसी देय राशि ऋणदाता के बैंक खाते में जमा करेगा।
- c. The Borrower gives its irrevocable, unconditional, and express consent to the Offline PA to deduct the due amounts from the Settlement Amount as communicated by the Lender and/or its representatives and transfer such amounts to Lender's bank account as repayment for the loan availed by the undersigned vide the above-mentioned Loan ID.
 - ऋणी स्पष्ट रूप से ऑफलाइन पीए को ऋणदाता और/या उसके प्रतिनिधियों द्वारा सूचित निपटान राशि से देय राशि में कटौती करने और उपर्युक्त ऋण आईडी के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती के रूप में ऐसी राशि को ऋणदाता के बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत करता है।
- d. The Borrower hereby irrevocably and unconditionally confirm that these instructions/authorization in favor of the Offline PA and the Lender as mentioned above shall be irrevocable and may not be revoked until the loan has been repaid in full to the satisfaction of the Lender.
 - ऋणी इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से और पूरी तरह से पुष्टि करता है कि ऑफलाइन पीए और ऋणदाता के पक्ष में उपर्युक्त निर्देश/प्राधिकार अपरिवर्तनीय हैं और जब तक ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार ऋण का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।
- e. In the event, the aforesaid repayment mode (i.e. deduction from Settlement Amount) is not applicable or available, the Borrower shall make payment of the Outstanding Amount as per the frequency specified in the Sanction Letter through any other mode such as NEFT, UPI, debit card, net banking or any such other mode made available through the Lender / LSP.
 - यदि उपरोक्त पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती/आदायगी/चुकौती मोड (अर्थात् निपटान राशि से कटौती) लागू या उपलब्ध नहीं है, तो उधारकर्ता किसी अन्य मोड जैसे एनईएफटी, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या किसी अन्य का उपयोग करके मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट बकाया राशि का भ्गतान करेगा जिस मोड को ऋणदाता/एलएसपी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया हो।
- f. It is agreed and understood by the Borrower(s) that the obligation to pay the Equated Daily Installment is absolute and unconditional. It is agreed that the Equated Daily Installments shall accrue on each calendar day during the Tenure and the same shall be payable on the same calendar day.
 - ऋणी स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि समान दैनिक किस्त का भ्गतान करने का

दायित्व पूर्ण और बिना शर्त है। समान दैनिक किस्तें पूरे कार्यकाल के दौरान प्रत्येक कैलेंडर दिन पर जमा करने और उसी कैलेंडर दिन पर जमा करने पर सहमति हुई है।

g. Without prejudice and/ or waiver of the Lender's rights, in the event that the Settlement Amount is not sufficient and/or there is a shortfall in the Equated Daily Installment/any other dues 10ayable, the Borrower(s) undertakes and agrees:

ऋणदाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और/या छूट दिए बिना, ऋणी वचन देता है और स्वीकार करता है कि यदि निपटान राशि अपर्याप्त है और/या समान दैनिक किस्त/देय किसी अन्य देय राशि में कमी है:

- to pay the Outstanding Amount .; बकाया राशि का भ्गतान करना;
- II. that the Lender shall (at its sole discretion) be entitled to vary one or all of the (i) Tenure; (ii) amount of each Instalment; or (iii) number of Instalments, as the case may be and the issue suitable instructions to the Lending Service Provider कि ऋणदाता (अपने विवेक से) (i) एक या सभी (i) कार्यकाल को बदलने का हकदार होगा; (ii) प्रत्येक किस्त की राशि; या (iii) किस्तों की संख्या, जैसा लागू हो, और ऋण सेवा प्रदाता को उचित निर्देश देना
- III. to pay Penal Charges such period until all the Equated Daily Instalments are repaid by the Borrower(s).

जुर्माना/दंड शुल्क तब तक देना होगा जब तक कि ऋणी द्वारा सभी समान दैनिक किश्तों की प्रतिपूर्ति नहीं कर दी जाती।

- h. The Borrower shall at all times maintain sufficient funds in his/ her bank account(s) to ensure that the Payment Instruments issued by the Borrower are not dishonored and the instalments are received and realized by the Lender on the applicable maturity dates or other due dates. ऋणी को अपने बैंक खाते(खातों) में हर समय पर्याप्त नकदी रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋणी द्वारा जारी किए गए भुगतान उपकरण अस्वीकृत न हों और उचित परिपक्वता तिथियों या अन्य देय तिथियों पर ऋणदाता द्वारा किश्तें प्राप्त और वसल की जाएं।
- i. All payments to be made by the Borrower to the Lender herein shall be made by electronic instruction or ECS or NACH/ENACHin favour of the Lender or any other mode or instrument permitted by Lender (collectively "Payment Instrument") and in the event the Lender permits to make it through the cheques then the same shall be duly crossed and marked "A/C Payee only" and the collection charges, if any, in respect of all such cheques will begin to accrue in favour of Lender as and from the date of issuance of the cheque irrespective of the time for transit/collection/realization/ of the cheque by the Borrower or his bank. In case of any payment(s) made by cheque(s) by the Borrower to Lender, in order to determine the point of time as to when the payment has been made, the payment shall be deemed to have been made at point of time when the money is credited to the bank account of the Lender after realization of such cheque. The Borrower agree/s to replace /issue fresh cheques if required by the Lender.

यहां ऋणी द्वारा ऋणदाता को किए जाने वाले सभी भुगतान ऋणदाता के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक निर्देश या ईसीएस या एनएसीएच/ईएनएसीएच द्वारा किए जाएंगे या ऋणदाता द्वारा स्वीकृत किसी अन्य मोड या उपकरण (सामूहिक रूप से "भुगतान साधन"), और यदि ऋणदाता इसे चेक के माध्यम से करने की अन्मित देता है, तो इसे विधिवत रूप से

रेखांकित किया जाएगा और "केवल खाता भुगतानकर्ता/आदाता" के रूप में चिहिनत किया जाएगा और ऐसे सभी चेक के संबंध में संग्रह शुल्क, यदि कोई हो, के पक्ष में जमा होना शुरू हो जाएगा। ऋणी द्वारा ऋणदाता को चेक द्वारा किए गए किसी भी भुगतान के मामले में, भुगतान उस समय किया गया माना जाएगा जब ऐसी रिकवरी के बाद पैसा ऋणदाता के बैंक खाते में जमा किया जाता है। यदि ऋणदाता को इसकी आवश्यकता होती है, तो ऋणी नए चेक बदलने/जारी करने के लिए सहमत होता है।

- j. The Lender shall not be required to give any notice, reminder, or intimation to the Borrower regarding their obligation in respect of Borrower'sdues and it shall be the Borrower's responsibility to ensure prompt and regular payments to the Lender. Installments shall be rounded off to the next higher Rupee.
 - ऋणदाता ऋणी के बकाए के संबंध में अपने दायित्व के बारे में कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है, और ऋणदाता को शीघ्र और नियमित भुगतान करना ऋणी की जिम्मेदारी है। किश्तों को निकटतम उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए।
- k. Lender shall, as it may deem appropriate and necessary, be entitled to require the payment and/or collection of the Outstanding Amount from the Borrower as expressed hereto. The Borrower expressly recognizes and accepts that the Lender shall, without prejudice to its right to perform such activities itself or through its officers/ affiliates or group companies or representatives or Lending Service Provider, be absolutely entitled and have full powers and authority to appoint one or more third parties of the Lender's choice and to transfer and delegate to such third parties the right to collect on behalf of the Lender all amounts hereunder and to perform, execute, acts, deeds, matters and things connected therewith or incidental therewith including sending notice of demand, attending the residence or office of the Borrower or otherwise contacting the Borrower, receiving the Borrower, entering into a settlement with the Borrower, giving a valid receipt and granting effectual discharge to the Borrower and generally perform all lawful acts as the third parties may consider appropriate for the purpose.

ऋणदाता, जैसा उचित और आवश्यक समझे, ऋणी से बकाया राशि के भुगतान और/या संग्रह की मांग करने का हकदार होगा, जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है। ऋणी स्पष्ट रूप से मानता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता स्वयं या अपने अधिकारियों/सहयोगियों या समूह कंपनियों या प्रतिनिधियों या ऋण सेवा प्रदाता के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूरी तरह से हकदार होगा और उसके पास किसी को नियुक्त करने की पूरी शक्तियां और अधिकार होंगे। ऋणदाता की पसंद के अधिक तृतीय पक्ष और ऐसे तृतीय पक्षों को ऋणदाता की ओर से सभी ऋण की राशि को एकत्र करने और निष्पादित करने, निष्पादित करने, कार्य करने, डीड तैयार करने, मामलों और उससे जुड़ी या प्रासंगिक चीजों को नोटिस भेजने सहित स्थानांतरित करने और सौंपने की पूरी शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे, ऋणी के निवास या कार्यालय में उपस्थित होना या अन्यथा ऋणी से संपर्क करना, ऋण प्राप्त करना, ऋणी के साथ समझौता करना, एक वैध रसीद देना और ऋणी को लागू मुक्ति प्रदान करना और आम तौर पर तीसरे पक्ष के रूप में सभी वैध कार्य करना जैसा भी वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे।

1. The Borrower shall not cancel or issue stop-payment instructions with respect to the Electronic Clearing System (Debit Clearing) or NACH/ENACH mandates or instructions to the Offline PA for so long as the Loan (or any part of the Borrower' dues) is outstanding and any such acts of the Borrower shall constitute an Event of Default and shall entitle the Lender to initiate appropriate legal proceedings against the Borrower in terms of the

applicable laws. The Borrower hereby agrees and confirms that in case of failure by the Borrower to make payment of any part of the Outstanding Amount of the , NACH (including e-NACH)/ cheques can be invoked anytime without prior intimation to the Borrower, to ensure that the Borrower's loan account with the Lender remains standard or the entire Outstanding Amount is repaid in full.

जब तक ऋण (या ऋणी के बकाया का कोई हिस्सा) बकाया है, तब तक ऋणी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (डेबिट क्लीयरिंग) या NACH/ENACH अधिदेश या निर्देशों के संबंध में भुगतान रोकने के निर्देश रद्द या जारी नहीं करेगा। ऑफलाइन पीए, और ऋणी द्वारा ऐसा कोई भी कार्य डिफॉल्ट की घटना का गठन करेगा और ऋणदाता को लागू कानूनों के अनुसार ऋणी के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देगा। ऋणी इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि यदि ऋणी बकाया राशि के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो NACH (e-NACH सहित)/चेक का उपयोग ऋणी को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी समय किया जा सकता है तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋणी की ऋणदाता के साथ ऋण खाता मानक बना रहता है या संपूर्ण बकाया राशि पूरी तरह से चुका दी जाती है।

- m. The Borrower hereby agrees, confirms, and undertakes to replenish/ renew the Repayment mode/ mandate (NACH or electronic funds transfer) after the NACH/ENACH mandate provided by the Borrower expires. The Borrower further agrees and undertakes to submit new set of NACH/ENACH documents for the repayment as and when called upon to do so by the Lender. In case the Borrower does not replenish/ renew the Repayment mode on time, Penal Charge as mentioned in the **Schedule** hereto shall be levied on the Borrower.
 - इसके द्वारा ऋणी सहमत होता है, पुष्टि करता है, और ऋणी द्वारा प्रदान किया गया NACH/ENACH अधिदेश समाप्त होने के बाद पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती मोड/अधिदेश (NACH या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) को फिर से पुनः भुगतान/नवीनीकरण करने का वचन देता है। ऋणी आगे स्वीकार करता है और ऋणदाता द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती के लिए नए NACH/ENACH दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का वचन देता है। यदि ऋणी समय पर पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती मोड की पुनः भुगतान/नवीनीकरण नहीं करता है, तो यहां अन्सूची में निर्दिष्ट अन्सार /दंड श्ल्क ऋणी पर लगाया जाएगा।
- n. Borrower shall promptly replace the mandatesand/or other documents executed for payment of the Installments and issue fresh mandates, and/or other documents in lieu thereof to the satisfaction of Lender, if Lender is facing any difficulty for any reasons whatsoever in presenting such cheques/issuing debit instructions or if required at any time by Lender at its sole discretion.
 - यदि ऋणदाता को किसी भी कारण से ऐसे चेक प्रस्तुत करने/डेबिट निर्देश जारी करने में कोई किनाई आती है, तो ऋणी को किस्तों के भुगतान के लिए निष्पादित अधिदेशों और/या अन्य दस्तावेजों को तुरंत बदलना होगा और ऋणदाता की संतुष्टि के लिए उसके बदले में नए अधिदेश और/या अन्य दस्तावेज जारी करने होंगे। ऋणदाता द्वारा किसी भी समय या यदि आवश्यक हो तो अपने विवेक पर निर्भर करता है।
- o. The Borrower hereby undertakes to pay, in addition to the Instalment or any other sums due hereunder, all duties, Taxes, costs, imposts and statutory levies and such other charges that may be imposed by the Government or statutory authorities from time to time pertaining to or in connection with all sums due under this Terms & Conditions. Additionally, the Borrower shall pay any interest, penalty, or other sums incurred by the Lender for defending or pursuing any claim, in respect of any Taxes, stamp duty forthwith upon demand by Lender. Further, the Borrower agrees, undertakes and covenants with Lender, to reimburse or pay to Lender, such amount as may have been paid or become payable by Lender, to any

Government Authority, on account of any Tax and/or Other Charges levied on Interest/Penal Charges /penalties/processing fees paid by the Borrower (including any Interest on any Instalment on the Loan), by any Government Authority. The reimbursement or payment shall be made by the Borrower as and when called upon to do so by Lender or by such Government Authority.

ऋणी इन नियमों और शर्तों के तहत देय सभी राशियों के लिए या उनके संबंध में किस्त या इसके तहत देय किसी भी अन्य राशि के अलावा, सभी शुल्कों, करों, लागतों, अधिभार और वैधानिक शुल्कों के साथ-साथ सरकार या वैधानिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर लगाए गए किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है। इसके अलावा, ऋणदाता की मांग पर, ऋणी किसी भी कर, स्टांप शुल्क के संबंध में किसी भी दावे का बचाव या मुकदमा चलाने में ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी ब्याज, जुर्मांना या अन्य रकम का भुगतान करेगा। इसके अलावा, ऋणी ब्याज/विलम्ब से भुगतान पर किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी कर और/या अन्य शुल्क के कारण किसी भी सरकारी प्राधिकरण को भुगतान की गई या ऋणदाता द्वारा देय किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति या भुगतान करने के लिए ऋणदाता के साथ सहमत होता है, वचन देता है और अनुबंध करता है। किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा ऋणी द्वारा भुगतान किए गए विलंब भुगतान शुल्क / जुर्माना / प्रसंस्करण शुल्क (ऋण पर किसी भी किस्त पर किसी भी ब्याज सहित)। प्रतिपूर्ति या भुगतान ऋणी द्वारा तब किया जाएगा जब ऋणदाता या ऐसे सरकारी प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा।

- p. Notwithstanding the Repayment of the Loan Amount and Interest in Instalment or Penal Charges/penal chargesif applicable and Other Charges in the manner as stipulated herein, the Borrower shall remain liable to pay all Outstanding Amount after adjustment of the above Repayments.
 - भले ही उधारकर्ता ऋण राशि और ब्याज को किश्तों में चुकाता है या विलम्ब से जुर्माना/दंड शुल्क, यदि लागू हो, और अन्य शुल्क यहां निर्दिष्ट तरीके से चुकाता है, तो उधारकर्ता उपरोक्त पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती के समायोजन के बाद सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।
- q. The Borrower hereby agrees and affirms that, in the event of any disputes between the Borrower & Lending Service Provideror the Third Party (in whose favour the Loan is disbursed on behalf of the Borrower), after the disbursement of Loan by the Lender, the Borrower shall not be absolved of its liability for repayment of the Outstanding Amount until the Loan is repaid completely in the books of the Lender.
 - ऋणी इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि, ऋणी और ऋण सेवा प्रदाता या तीसरे पक्ष (जिसके पक्ष में ऋणी की ओर से ऋण वितरित किया गया है) के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, ऋणदाता द्वारा ऋण के संवितरण के बाद, ऋणी को उसके दायित्व से तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह ऋणदाता की पुस्तकों में दर्ज़ ऋण का प्नर्भगतान/अदायगी/च्कौती पूरी तरह से नहीं करता है।

4.2 Prepayment or Part-Payment or Partial Payment पूर्व भुगतान या पार्ट-भुगतान या आंशिक भुगतान

a. The Borrower may within Cooling -Off Period /Look-up Period as detailed in the **Schedule** hereto, repay the principal Loan amount along with proportionate APR without the requirement to pay any Prepayment charges. Post Cooling-Off period/Look-up Period and subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Lender including payment of minimum prepayment amount, prepayment charges and/or any other charges, as stated in

Schedule, the Borrower may prepay the outstanding principal amount of the Loan (together with all outstanding interest and other charges and monies payable thereon in full or in part), before the due dates. In the event any part prepayment of the Loan is permitted by Lender, the Repayment Schedule/amount of Installment(s) shall be amended by Lender and the Borrower shall thereafter make payment of the Installments as per such amended schedule. Any such prepayment shall take effect only after such pre-payment have been cleared in favour of Lender's account and also payment of pre-payment charges as specified in the **Schedule** to this Terms & Conditions.

जैसा कि यहां अनुसूची में दर्शाया गया है, ऋणी क्लिंग-ऑफ अविधि/लुक-अप अविधि के दौरान किसी भी पूर्व भुगतान लागत का भुगतान किए बिना आनुपातिक एपीआर के साथ मूल ऋण राशि वापस कर सकता है। ऋणी क्लिंग-ऑफ अविधि/लुक-अप अविधि के बाद, नियत तिथियों से पहले ऋण की बकाया मूल राशि (सभी बकाया ब्याज और अन्य शुल्कों और उस पर देय धनराशि सिहत) का पूर्व भुगतान कर सकता/सकती है। ऐसे नियम और शतेंं जो ऋणदाता निर्धारित कर सकता है, जिसमें न्यूनतम पूर्व भुगतान राशि का भुगतान, पूर्व भुगतान शुल्क और/या कोई अन्य शुल्क शामिल है, जैसा कि अनुसूची में बताया गया है। यदि ऋणदाता ऋण के आंशिक पूर्व भुगतान की अनुमति देता है, तो पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती अनुसूची/किस्तों की राशि बदल दी जाएगी, और ऋणी नई अनुसूची के अनुसार किस्तों का भुगतान करेगा। ऐसा कोई भी पूर्व भुगतान केवल तभी प्रभावी होगा जब इसे ऋणदाता के खाते के पक्ष में मंजूरी दे दी गई हो, साथ ही इन नियमों और शर्तों की अनुसूची में उल्लिखित पूर्व भुगतान लागत का भृगतान भी किया गया हो।

b. The Borrower can make partial prepayment or total repayment of the Loan any time during the Loan Term subject to the terms set out in the Schedule. The Prepayment charges as mentioned in the Schedule shall be payable by the Borrower. The same will be applied on prepaid principal amount which has been paid but not yet due as per amortization schedule on the date of closure of the Loan. GST and all applicable taxes will be additional. अनुसूची में निर्धारित प्रावधानों के अधीन, ऋणी ऋण अविध के दौरान किसी भी समय ऋण का आंशिक या संपूर्ण पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती कर सकता है। ऋणी अनुसूची में सूचीबद्ध पूर्व भुगतान लागतों के लिए जिम्मेदार है। इसे पूर्व भुगतान मूल राशि पर लागू किया जाएगा जिसका भुगतान किया जा चुका है लेकिन ऋण बंद होने की तिथि पर परिशोधन अनुसूची के अनुसार अभी तक देय नहीं है। जीएसटी और कोई भी जीएसटी और सभी लागू कर अतिरिक्त होंगे।

c. Adjustment of the Prepayment Amount. पूर्वभूगतान राशि का समायोजन

i. The prepayment amount will be treated as an excess amount received from the Borrower and it is understood that there shall be no change to the schedule of Equated Daily Installment or Outstanding Amount Due. However, future EDIs will be adjusted against the excess amount. This excess amount may be used to adjust any shortfall in future repayments of the Borrower to enable the Borrower to avoid any Overdue Interest. Upon the Borrower intending to adjust the excess amount from their Net Outstanding Amount then the Borrower will have to make a request to the Lender and the Lender may process the request/refund the amount as per their sole discretion.

पूर्व भुगतान राशि को ऋणी से प्राप्त अतिरिक्त राशि के रूप में देखा जाएगा, और समान दैनिक किस्त या बकाया राशि की अनुसूची में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालाँकि, बाद के ईडीआई को अधिशेष के हिसाब से संशोधित किया जाएगा। इस अधिशेष धन का उपयोग ऋणी के भविष्य के भुगतान में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जिससे ऋणी अतिदेय ब्याज से बच सकता है। यदि ऋणी अपनी शुद्ध बकाया राशि से अतिरिक्त राशि को संशोधित करना चाहता है, तो ऋणी को ऋणदाता को एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जो अपने विवेक से अनुरोध पर कार्रवाई कर सकता है/राशि वापस कर सकता है।

- ii. If the Borrower wishes to completely close this account with the Lender, Borrower should pay Net Outstanding amount in full and should ask the Lender for the same by sending a specific request to the Lender.
 - यदि ऋणी ऋणदाता के साथ इस खाते को पूरी तरह से बंद करने का इरादा रखता है, तो ऋणी को शुद्ध बकाया राशि का पूरा भुगतान करना होगा और ऋणदाता से एक विशेष अनुरोध करना होगा।
- iii. To benefit Borrower, the Lender may check the Net Outstanding Amount of Borrower and identify the accounts with nil or negative Net Outstanding Amount. Any excess payment received based on the said calculation will be remitted to the Borrower without any interest.
 - ऋणी को लाभ पहुंचाने के लिए, ऋणदाता ऋणी की शुद्ध बकाया राशि की जांच कर सकता है और शून्य या नकारात्मक शुद्ध बकाया राशि वाले खातों की खोज कर सकता है। गणना के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी अतिरिक्त भुगतान ऋणी को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।
- d. Termination or expiration of this Terms & Conditions for any reason shall not relieve the Borrower from any liabilities or obligations set forth in this Terms & Conditions which (i) the Borrower has expressly agreed shall survive such termination or expiration; or (ii) remain to be performed or by their nature would be intended to survive such termination or expiration.
 - किसी भी कारण से इन नियमों और शर्तों की समाप्ति या समय अविध समाप्ति ऋणी को इन नियमों और शर्तों में निर्धारित किसी भी देनदारियों या दायित्वों से मुक्त नहीं करेगी कि (i) ऋणी ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है कि वह ऐसी समाप्ति या समय अविध समाप्ति से बच जाएगा; या (ii) ऋण वापस किया जाना बाकी है या ऐसी समाप्ति या समय अविध समाप्ति से बचे रहने की उम्मीद की जाएगी।
- 4.3 Notwithstanding anything stated elsewhere in this Terms & Conditions, the Lender may, subject to Applicable Law, at any time, in its discretion, cancel the undisbursed amount of Loan without prior notice to the Borrower and in such event, if required by the Lender, the Outstanding Amount shall be payable by the Borrower within fifteen (15) days of being so called upon, to the Lender without any delay or demur.
 - इन नियमों और शर्तों में किसी भी अन्य बात के बावजूद, ऋणदाता, लागू कानून के अधीन, ऋणी को पूर्व सूचना दिए बिना, किसी भी समय ऋण की असंवितरित राशि को रदद कर

सकता है, और ऐसी स्थिति में, यदि ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो, तो बकाया राशि को रद्द कर सकता है। ऋणी द्वारा बुलाए जाने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर, बिना किसी देरी या देरी के ऋणदाता को बकाया राशि का भ्गतान करना होगा।

4.4 The Borrower hereby duly acknowledges and authorizes that the Lender shall have right and authority to decide upon the manner of apportion or appropriate any repayment amount or pre-payment amount received from the Borrower against this Loan with any of the loans or advances availed by the Borrower form the Lender including any affiliates of the Lender. इसके द्वारा ऋणी स्वीकार करता है और ऋणदाता को यह निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता है कि इस ऋण के विरुद्ध ऋणी से प्राप्त किसी भी पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती या पूर्व-भुगतान राशि को ऋणदाता के किसी भी सहयोगी सहित ऋणदाता से प्राप्त किसी भी ऋण या अग्रिम के साथ कैसे विभाजित या उचित किया जाए।

4.5 Application of Payments and Realization भगतान आवेदन और वसूली

The Lender shall be entitled to receive and apply/adjust/appropriate monies that the Lender may receive under any payments and realizations, including any realization received from any insurance company against amounts payable under this Terms & Conditions without affecting the Borrower's obligations under the Terms & Conditions. If such application/adjustment/appropriation result in part Repayment of the Loan, the repayment schedule be suitably modified by Lender and the Borrower shall thereafter pay the Instalment as per the modified repayment schedule as conveyed to the Borrower.

ऋणदाता नियमों और शतों के तहत ऋणी के दायित्वों को प्रभावित किए बिना, इन नियमों और शतों के तहत देय राशि के खिलाफ किसी भी भुगतान और वस्ली से प्राप्त किसी भी धन को प्राप्त करने और लागू करने/समायोजित/विनियोजित करने का हकदार होगा, जिसमें किसी भी बीमा कंपनी से प्राप्त कोई भी वस्ली शामिल है। यदि इस तरह के आवेदन/समायोजन/विनियोजन के परिणामस्वरूप ऋण का आंशिक पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती होता है, तो ऋणदाता द्वारा पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती अनुसूची को तदनुसार बदल दिया जाएगा, और फिर ऋणी अद्यतन पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती अनुसूची के अनुसार किस्त का भुगतान करेगा जैसा कि ऋणी को सूचित किया जाएगा।

4.6 Appropriation of Payments

भ्गतान का विनियोजन

a) Unless otherwise agreed by the Lender, any payment due and payable under this Terms & Conditions and made by the Borrower will be appropriated towards such dues in the order, namely:

जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा अनुमोदित न किया जाए, इन नियमों और शर्तों के तहत देय कोई भी भुगतान और ऋणी द्वारा भुगतान निम्नलिखित क्रम में ऐसे बकाया पर लागू किया जाएगा, अर्थात:

i) Outstanding principal Loan Amount

बकाया मूल ऋण राशि

ii) Interest

ब्याज

(iii) Penal Charges

दंड श्ल्क

- (iv) Pre-Payment charge(s) or Part Payment charge(s), liquidated damages on defaulted amounts; if any and fees, any other applicable charges as mentioned in the Schedule hereto:
 - पूर्व भुगतान शुल्क या आंशिक भुगतान शुल्क, डिफॉल्ट राशि पर परिसमाप्त क्षति, यदि कोई हो, और शुल्क, साथ ही यहां अनुसूची में निर्दिष्ट कोई अन्य प्रासंगिक शुल्क;
- (v) costs, charges, expenses, incidental charges, and other moneys that may have been expended by Lender in connection with the recovery of the Outstanding Amount; लागत, शुल्क, व्यय, आकस्मिक शुल्क, और अन्य धन जो ऋणदाता ने बकाया राशि की वस्ली के संबंध में खर्च किए होंगे;
- vi) towards payment of any other sum then due but unpaid under any other Transaction documents entered into by the Borrower

किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए जो तब देय है लेकिन ऋणी द्वारा दर्ज किए गए किसी भी अन्य लेनदेन कागजात के तहत भ्गतान नहीं किया गया है

b) Notwithstanding anything mentioned above, the Lender may, at its absolute discretion appropriate any payment in any manner towards its dues, payable by the Borrower under this Terms & Conditions.

ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, ऋणदाता अपने विवेक से, इन नियमों और शर्तों के तहत ऋणी के बकाया पर किसी भी तरीके से कोई भी भ्गतान लागू कर सकता है।

4.7 Set-off and Counterclaim

समायोजन और प्रतिदावा

All payments made by the Borrower under this Terms & Conditions shall be made without any deduction, set off or counterclaim other than any deduction which is required mandatorily under any law.

इन नियमों और शर्तों के तहत ऋणी द्वारा किए गए सभी भुगतान कानून द्वारा आवश्यक किसी भी कटौती को छोड़कर, बिना किसी कटौती, समायोजन या प्रतिदावे किए जाएंगे।

4.8 Continuation of Liability of Borrower by the Legal heir(s) of the Borrower ऋणी का दायित्व ऋणी के कानूनी उत्तराधिकारियों दवारा की निरंतरता

Where the Borrower being an individual dies during the pendency of the Loan, the obligations of the deceased Borrower under this Terms & Conditions and the Transaction Documents and any other documents executed with respect to the Loan shall devolve upon the legal heir(s) representatives, assignees, successors, nominees of the said deceased Borrower, as if they were executed by the legal heir(s)/representative(s)/assignees/successors/nominees of the deceased Borrower

यदि ऋण जारी होने के दौरान ऋणी की मृत्यु हो जाती है, तो इन नियमों और शर्तों, लेनदेन दस्तावेजों और ऋण के संबंध में निष्पादित किसी भी अन्य दस्तावेज के तहत मृत ऋणी के दायित्व कानूनी उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, समनुदेशितियों पर स्थानांतरित हो जाएंगे। उक्त मृत ऋणी के उत्तराधिकारी और नामांकित व्यक्ति, जैसे कि उन्हें मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि/निष्पादित व्यक्ति/उत्तराधिकारी/नामांकित द्वारा निष्पादित किया गया हो।

5. COVENANTS & UNDERTAKING अनुबंध और प्रतिबद्धताएँ

- 5.1 The Borrower shall comply with the following requirements: ऋणी को निम्नलिखित आवश्यकताएं प्री करनी होंगी:
 - a. Promptly give written notice to the Lender of ऋणदाता को शीघ्र लिखित सूचना प्रदान करें

- i. any material circumstances affecting the ability of the Borrower to repay the Loan in the manner stipulated hereunder or compliance with the obligations under this Terms & Conditions including any change in/ termination of employment, business or profession for any reason, any strikes, lock-outs, shut down or similar activity affecting the business of the Borrower or any event which may/ have caused an Event of Default.
 - ऐसी कोई भी भौतिक परिस्थिति जो ऋणी की यहां निर्धारित तरीके से ऋण चुकाने की क्षमता या इस नियम और शर्तों के तहत दायित्वों के अनुपालन को प्रभावित करती है, जिसमें किसी भी कारण से रोजगार, व्यवसाय या पेशे में कोई बदलाव/समाप्ति, कोई हड़ताल, तालाबंदी, शट डाउन या ऋणी के व्यवसाय को प्रभावित करने वाली समान गतिविधि या कोई ऐसी घटना जो डिफॉल्ट की घटना का कारण बन सकती है/रखी है, शामिल है।
- ii. Any arrears payable to government or any public/local authority such as income tax, corporation tax and all other taxes and revenues.
 - सरकार या अन्य सार्वजनिक/स्थानीय निकाय को देय कोई बकाया जैसे आयकर, निगम कर और अन्य सभी कर और राजस्व शामिल हैं।
- iii. Any change in the employment, business or profession as the case may be, by way of termination, retirement, ceasing, suspension, internal transfer to other locations for any reasons whatsoever.
 - नौकरी, व्यवसाय या पेशे में किसी भी कारण से, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति, स्थगन, निलंबन या विभिन्न स्थानों पर आंतरिक स्थानांतरण के माध्यम से कोई भी बदलाव।
- iv. Any change in the residential / office address, communication details as well as any change in the bank account through which the Borrower has issued the repayment instrument and related instructions.
 - निवास/कार्यालय का पता, संचार विवरण और उस बैंक खाते में कोई भी परिवर्तन जिसके माध्यम से उधारकर्ता ने पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती साधन और संबंधित निर्देश जारी किए हैं।
- b. Continue to allow salary and / or business proceeds to be deposited in the account from which repayment instrument have been issued to the Lender and/or standing instructions have been issued to the Lender for debit from the Borrower's account for repayment of Loan and the Borrower shall not change the salary account and/or the business and/or profession without the prior written permission of the Lender.
 - वेतन और/या व्यावसायिक आय को उस खाते में जमा करने की अनुमति दें, जहां से ऋणदाता को पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती साधन जारी किया गया है और/या ऋण पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती के लिए ऋणी के खाते से डेबिट करने के लिए ऋणदाता को स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं, और ऋणी ऐसा नहीं करेगा। ऋणदाता की पूर्व लिखित अन्मित के बिना वेतन खाता और/या व्यवसाय और/या पेशे में बदलाव न करें।
- c. The Borrower shall ensure that no part of the Loan shall be utilized for any illegal purposes and/or immoral activities, gambling, lottery, races, and activities speculative in nature and/or such other activities of similar nature. The Borrower shall utilize the entire Loan Amount solely for the Purpose as mentioned in the **Schedule** hereto and no other purpose whatsoever. ऋणी यह गारंटी देगा कि ऋण का कोई भी हिस्सा किसी भी गैरकानूनी या अनैतिक उद्देश्यों, जुआ, लॉटरी, रेसिंग, सट्टा गतिविधियों या इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के लिए

- उपयोग नहीं किया जाएगा। ऋणी पूर्ण ऋण राशि का उपयोग यहां अनुसूची में निर्दिष्ट उददेश्य के लिए करेगा न कि किसी अन्य उददेश्य के लिए।
- d. The Borrower hereby authorizes the Lender to take possession and to sell any products purchased from the Loan proceeds to recover the Outstanding Balance including any interest, charges, etc.
 - ऋणी इसके द्वारा ऋणदाता को किसी भी ब्याज, शुल्क आदि सहित बकाया शेष राशि की वस्त्री के लिए ऋण के पैसे का उपयोग करके अर्जित किसी भी वस्तु को जब्त करने और बेचने के लिए अधिकृत करता है।
- e. The Borrower shall not change/cancel the NACH/ENACH mandate/close the bank account against which any PDC/NACH/ENACH mandate have been issued to the Lender in respect to Repayment of dues under this Terms & Conditions. In case the Borrower does cancel the NACH mandate or close the said bank account, he shall ensure that an alternative payment mode is made available to the Lender so as to secure regular payment of his dues.
 - ऋणी NACH/ENACH अधिदेश को नहीं बदलेगा/रद्द नहीं करेगा/उस बैंक खाते को बंद नहीं करेगा जिसके विरुद्ध इन नियमों और शर्तों के तहत बकाया पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती के संबंध में ऋणदाता को कोई PDC/NACH/ENACH अधिदेश दिया गया है। यदि ऋणी एनएसीएच अधिदेश को रद्द कर देता है या उपरोक्त बैंक खाते को बंद कर देता है, तो उसे अपने बकाए के निरंतर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ऋणदाता के लिए एक वैकल्पिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराना होगा।

6. BORROWER'S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES ऋणी का प्रतिनिधित्व और वारंटी

- 6.1 The Borrower confirms the accuracy, authenticity and legal validity of the information, documents, statements provided by him/her/them, to the Lender in any form or means including acceptance in digital journey, or otherwise during the subsistence of this Terms & Conditions/Loan, and any prior or subsequent information or explanation given to Lender in this behalf. Any such information/document/statement in possession of Lender shall be deemed to have been given by the Borrower.
 - ऋणी किसी भी रूप या माध्यम से ऋणदाता को प्रदान की गई जानकारी, दस्तावेजों और बयानों की सटीकता, प्रामाणिकता और कानूनी वैधता की पुष्टि करता है, जिसमें डिजीटल यात्रा में स्वीकृति शामिल है, या अन्यथा इस नियम और शर्तों की अविध के दौरान शर्तें/ऋण, और इस संबंध में ऋणदाता को दी गई कोई पूर्व या बाद की जानकारी या स्पष्टीकरण। ऋणदाता के पास मौजूद ऐसी कोई भी जानकारी/दस्तावेज़/विवरण ऋणी द्वारा प्रदान किया गया माना जाएगा।
- 6.2 That the Borrower (i) is a major and is of sound mind and is competent to contract and enter into and perform his/her/its obligations under this Terms & Conditions and all documents hereunder, as required, will be valid and binding obligations of the Borrowerand enforceable in accordance with their respective terms.
 - यह कि ऋणी (i) बालिग है और मानसिक रूप से स्वस्थ है और इन नियमों और शर्तों के तहत अनुबंध करने, और अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है, और इसके तहत सभी दस्तावेज, आवश्यकतानुसार वैध और बाध्यकारी दायित्व होंगे जो ऋणी और उनकी संबंधित शर्तों के अनुसार प्रवर्तनीय हैं।
- 6.3 That the Borrowerdoes/do not violate any covenants, conditions and stipulations under any existing Terms & Conditions entered into by the Borrowerwith the Lender or any third party, by availing the Loan from the Lender.

- यह कि ऋणदाता से ऋण प्राप्त करके, ऋणी ऋणदाता या किसी तीसरे पक्ष के साथ किए गए किसी भी मौजूदा नियम और शर्तों के तहत किसी भी अनुबंध, शर्तों और शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है।
- 6.4 That there is no action, suit, proceeding or investigation pending or to the knowledge of the Borrower threatened by or against the Borrower or the property of the Borrower before any court of law or Government authority or any other competent authority which might have a material effect on the financial and other affairs of the Borrower or which might put into question the validity, enforceability or performance of this Terms & Conditions or any of the Terms & Conditions contained in any of the Transaction Documents.
 - किसी भी अदालत, सरकारी प्राधिकरण, या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऋणी या ऋणी की संपत्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई, मुकदमा, कार्यवाही, या जांच लंबित या धमकी नहीं दी गई है जो ऋणी के वितीय और अन्य मामलों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है। या इस नियम और शर्तों या किसी भी नियम और शर्तों की वैधता, प्रवर्तनीयता, या प्रदर्शन पर सवाल उठाएँ।
- 6.5 The Borrower shall give repayment instrument for the complete repayment of the Loan being fully aware of the fact that dishonor of any repayment instrument is a criminal offence under the Negotiable Instruments Act, 1881/The Payment and Settlements Act, 2007 (as may be applicable). No notice reminder or intimation will be given regarding the presentation of the repayment instruments by the Lender. Such repayment instrument shall be drawn from such bank and such location as agreed to by the Lender.
 - ऋणी को ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती के लिए एक पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती साधन प्रदान करना होगा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती साधन प्रदान करने में विफलता 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम/भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 (जहां लागू हो) के तहत एक आपराधिक कृत्य है। ऋणदाता पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती उपकरणों की प्रस्तुति के संबंध में कोई अधिसूचना, अनुस्मारक या संकेत नहीं देगा। ऐसा पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती लिखत ऐसे बैंक और ऐसे स्थान से लिया जाएगा जिस पर ऋणदाता सहमत हो।
- 6.6 The Borrower may also give the Lender a mandate/authorization for payment through direct debit, in the prescribed form of the approved bank, towards payment of each Instalment. ऋणी स्वीकृत बैंक के अधिकृत फॉर्म में सीधे डेबिट द्वारा प्रत्येक किस्त के भुगतान के लिए ऋणदाता को एक आदेश/प्राधिकार भी प्रदान कर सकता है।
- 6.7 The Borrower shall at all times abide by the laws in India, and in particular, provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002. The Borrower's obligations under the Transaction Documents are valid, binding, and enforceable.

 ऋणी को हर समय भारतीय नियमों का पालन करना होगा, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। लेनदेन दस्तावेजों के तहत ऋणी के दायित्व वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य हैं।
- 6.8 The Borrower has not taken any other loan, advance, facility, or debt or issued any guarantee other than as disclosed to the Lender. The Borrower is neither a party to any litigation nor is aware of any facts likely to give rise to any litigation resulting in material claims against the Borrower.
 - ऋणदाता को जो सूचित किया गया है उसके अलावा, ऋणी ने कोई अन्य ऋण, अग्रिम, सुविधा या दायित्व स्वीकार नहीं किया है, न ही उसने कोई गारंटी की पेशकश की है। ऋणी किसी भी मुकदमे में पक्षकार नहीं है और उसे ऐसे किसी भी तथ्य की जानकारी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप ऋणी के खिलाफ पर्याप्त दावे हो सकते हैं।

RIGHT OF LIEN AND SET-OFF ग्रहणाधिकार और समायोजन का अधिकार

- 7.1 The Borrower hereby agrees, confirms and undertakes that Lender during the currency of the Loan, shall have a first and exclusive charge over all the movable & immovable properties of every description coming into their possession on account of the Borrower or any one of them for the time being held by Lender on behalf of the Borrower or any one of them whether singly or jointly with others in India or elsewhere. The Lender shall be entitled to appropriate/adjust Outstanding Amount under this Terms & Conditions against any of the security of the Borrower mortgaged with the Lender or that may subsequently come into the possession of the Lender from time to time or at any time.
 - ऋणी इस बात से सहमत है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि ऋणी या उनमें से किसी एक के कारण उनके कब्जे में आने वाली प्रत्येक प्रकार की सभी चल और अचल संपत्तियों पर ऋणदाता का पहला और विशेष प्रभार होगा, जो कि ऋणदाता की ओर से कुछ समय के लिए है, भले ही वह ऋण की अवधि के दौरान ऋणी या उनमें से किसी एक का भारत में हो या भारत के बाहर। ऋणदाता इन नियमों और शर्तों के तहत ऋणदाता के पास गिरवी रखी गई या बाद में समय-समय पर या किसी भी समय ऋणदाता के स्वामित्व में आने वाली किसी भी सुरक्षा के विरुद्ध बकाया राशि को विनियोजित/समायोजित कर सकता है।
- 7.2 All loan by the Lender or its affiliates to the Borrower under this Agreement, the Transaction Documents or any other loan agreement or loan documents between such parties shall be constitutes as one transactions, and all indebtedness and the Obligations of Borrower or an affiliate to Lender under this Agreement, the loan documents or any other loan agreement or loan documents, present and future, constitute one obligation secured by the collateral of the Loan or the Collateral of an affiliate loan and security held and to be held by Lender hereunder and by virtue of all other assignments and security agreements between Borrower and Lender now and hereafter existing, as may be amended, restated, supplemented, extended or renewed and any such rights against the Borrower would be available with the Lender.

इस समझौत के तहत ऋणदाता या उसके सहयोगियों द्वारा ऋणी को दिए गए सभी ऋण, लेन-देन दस्तावेज़, या ऐसे पक्षों के बीच कोई अन्य ऋण समझौता या ऋण दस्तावेज़ एक ही लेनदेन के रूप में माने जाएंगे, और ऋणी या उसके द्वारा देय सभी ऋणग्रस्तता और दायित्व इस समझौते के तहत ऋणदाता से संबद्ध, ऋण दस्तावेज़, या कोई अन्य ऋण समझौता या ऋण दस्तावेज़, वर्तमान और भविष्य, को ऋण की आनुशंगिक या आनुशंगिक और सुरक्षा व्यवस्था द्वारा अभी और भविष्य में सुरक्षित एकल दायित्व के रूप में माना जाएगा। ऋणी और ऋणदाता के बीच, जैसा कि संशोधित, पुनर्स्थापित, संवधित, विस्तारित या नवीनीकृत किया गया है, और ऋणी के खिलाफ ऐसा कोई भी अधिकार ऋणदाता के लिए सुलभ होगा।

8. EVENTS OF DEFAULT AND REMEDIES डिफॉल्ट/चुक की घटनाएँ और उपाय

- 8.1 An event of default shall be deemed to have occurred if any of the following under this Terms & Conditions, if (each of the event shall be referred to as "Event of Default"): यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है तो चूक/डिफॉल्ट की घटना को घटित माना जाना चाहिए (प्रत्येक शर्त को "च्क/डिफॉल्ट की घटना" कहा जाता है):
- (a) Default in non-payment of Outstanding Amount or Instalment due in full or any other dues under this Terms & Conditions, on or before the due date as provided in this Terms & Conditions

- इन नियमों और शर्तों के तहत बकाया राशि या किस्त का पूरा भुगतान करने में विफलता/चूक, या इन नियमों और शर्तों के तहत किसी भी अन्य देय राशि का, इन नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले भुगतान करने में विफलता।
- (b) Non-performance of any covenant, conditions, or Terms & Conditions on the part of the Borrower under this Terms & Conditions or Transaction Documentsexecuted in favour of Lender in respect of this Loan.
 - इस ऋण के संबंध में ऋणदाता के पक्ष में निष्पादित नियमों और शर्तों या लेनदेन दस्तावेजों के तहत ऋणी की ओर से किसी भी अन्बंध, शर्तों, या नियम और शर्तों का गैर-प्रदर्शन।
- (c) Any information given by the Borrower or financials provided to Lender, and/or any other document/ certificate/receipt/statement, to Lender for financial assistance is found to be misleading or incorrect in any material respect or any warranty referred to in *Borrower's Representations and Warranties* is found to be incorrect.
 - ऋणी द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या वित्तीय सहायता के लिए ऋणदाता को प्रदान की गई कोई भी जानकारी, और/या वित्तीय सहायता के लिए ऋणदाता को प्रदान किया गया कोई अन्य दस्तावेज़/प्रमाणपत्र/रसीद/विवरण, किसी भी भौतिक संबंध में भ्रामक या गलत पाया जाता है, और संदर्भित कोई भी वारंटी ऋणी के अभ्यावेदन और वारंटी में गलत पाया गया है।
- (d) If the Borrower misuses the Loan Amount or any part thereof for any purpose other than the Purpose for which the Loan has been sanctioned or if the Purpose for which the Loan has been obtained becomes illegal on account of any promulgation, amendment, modification or reenactment of any statute, notification, circular or order of the regulatory authority, Court etc. यदि ऋणी ऋण राशि या उसके किसी हिस्से का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, या यदि जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किया गया था वह घोषणा, संशोधन, संशोधन, या नियामक प्राधिकारी, न्यायालय आदि के किसी क़ानून, अधिसूचना, परिपत्र या आदेश का प्न: अधिनियमन के

परिणामस्वरूप अवैध हो जाता है।

- (e) Cross Default: The Borrower defaults in payment of, or commits any event of default under any other loan availed by it from the Lender or any other lender, or any encumbrance over any of its assets becomes enforceable, or any other lender of the Borrower for any reason becomes entitled to accelerate debts due under its loan, or to cancel or suspend its commitments. If there is a reasonable apprehension that the Borrower is unable to pay his/her/their other debts. क्रॉस डिफॉल्ट: ऋणी ऋणदाता या किसी अन्य ऋणदाता से प्राप्त किसी भी अन्य ऋण के तहत चूक करता है या डिफॉल्ट की कोई घटना करता है, या उसकी किसी भी संपित पर कोई भार लागू करने योग्य हो जाता है, या उसकी किसी भी संपित पर कोई बोझ लागू करने योग्य हो जाता है, या ऋणी के किसी अन्य ऋणदाता के लिए किसी भी कारण से वह अपने ऋण के तहत देय ऋणों में तेजी लाने, या अपनी प्रतिबद्धताओं को रद्द करने या निलंबित करने का हकदार बन जाता है। यदि कोई वास्तिवक डर है कि ऋणी अपने अन्य ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होगा।
- (f) Any commitment for any debt of the Borrower is cancelled or suspended by a creditor as a result of an event of default (howsoever described)

 डिफॉल्ट घटना (चाहे जो भी वर्णित हो) के परिणामस्वरूप एक क्रेडिटर ऋणी के किसी भी ऋण के लिए किसी भी दायित्व को रदद या निलंबित कर देता है।
- (g) If the Borrower becomes the bankrupt and insolvent or यदि ऋणी दिवालिया जाता है या

 If any proceeding is initiated by filing an application against the Borrower under any applicable bankruptcy, insolvency (within the meaning of the Companies Act, 2013 or the

relevant notified provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)in effect, or in any case, proceeding or other action for the appointment of a receiver, liquidator, assignee (or similar official) for any part of their property or other action has been admitted by a court or other Governmental Authority;

यदि किसी लागू दिवालियापन (कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ या दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रासंगिक अधिसूचित प्रावधानों के तहत) के तहत ऋणी के खिलाफ आवेदन दायर करके कोई कार्यवाही शुरू की जाती है, या यदि कोई कार्यवाही या उनकी संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए रिसीवर, परिसमापक, समनुदेशिती (या समान अधिकारी) की नियुक्ति के लिए अन्य कार्रवाई या अन्य कार्रवाई किसी अदालत या अन्य सरकारी एजेंसी दवारा स्वीकार की गई है;

- (h) Dishonour of any payment instructions provided under these Terms & Conditions/any instructions given by the Borrower for stopping payment of any mode under this Terms & Conditions or instructions to the Lender not to present any NACH mandate or cancellation of NACH mandate.
 - इन नियमों और शर्तों के तहत जारी किए गए किसी भी भुगतान निर्देश की अवज्ञा करना / इन नियमों और शर्तों के तहत किसी भी मोड के भुगतान को बंद करने के लिए ऋणी द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या ऋणदाता को किसी भी एनएसीएच अधिदेश को प्रस्तुत न करने या एनएसीएच अधिदेश को रदद करने के निर्देश की अवज्ञा करना।
- (i) Any short payment of any demand raised by the Lender under the terms of the Transaction Documents.
 - लेन-देन दस्तावेजों के प्रावधानों के तहत ऋणदाता द्वारा उत्पन्न कोई भी मांग जिसका पूरा भगतान नहीं किया गया है।
- (j) On the lunacy or other disability of the Borrower.
- (k) ऋणी के पागलपन या अन्य अक्षमता पर।
- (l) Death of the Borrower: If the Borrower dies and the legal heirs, successor and assigns of the Borrower do not or for any other reason whatsoever agreeing to substitute themselves in place of the deceased Borrower within the time as stipulated by the Lender in its sole discretion.
 - ऋणी की मृत्युः यदि ऋणी की मृत्यु हो जाती है और उसके वैध उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और समनुदेशित ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार में निर्दिष्ट समय के भीतर मृत ऋणी के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत नहीं होते हैं।
- (m) If the Borrower fails to inform the Lender, of the happening of any Event of Default or any event which after the notice, or lapse of time, or both, would become an event of default.
 - यदि ऋणी डिफॉल्ट की किसी घटना या किसी ऐसी घटना के घटित होने के बारे में ऋणदाता को सूचित करने में विफल रहता है जो नोटिस, समय बीतने या दोनों के बाद डिफॉल्ट की घटना बन जाएगी।
- (n) Receiver is appointed in respect of the assets or properties of the Borrower. ऋणी की संपत्ति या संपत्तियों पर एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है।
- (o) Business operations of the Borrower is suspended, and such suspension continues for more than three months;
 - ऋणी का व्यवसाय संचालन रोक दिया गया है, और तीन महीने से अधिक समय से यही स्थिति बनी रहती है।
- (p) carrying on of the Borrower's business becomes illegal or contrary to any law, rules & regulations notified or enforced by any competent authority;
 - ऋणी का व्यवसाय अवैध हो जाता है या किसी प्राधिकारी निकाय द्वारा अधिसूचित या लागू किए गए किसी कानून, नियम या विनियमन का उल्लंघन करता है;

- (q) If any other event has occurred which in the opinion of the Lender jeopardizes its interest or would make it difficult for the Lender to recover the Loan, if timely action is not taken
- (r) यदि कोई अन्य घटना घटती है, जो ऋणदाता के निर्णय के अनुसार, उसके हित को खतरे में डालती है या यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऋणदाता के लिए ऋण वस्ली करना असंभव हो जाता है।

8.2 REMEDIES ON THE HAPPENING OF EVENT OF DEFAULT डिफॉल्ट की घटना के घटित होने पर किए जाने वाले उपाय

- (a) If any Event of Default or any event which, after the notice or lapse of time or both would constitute an Event of Default shall have happened, the Lender shall forthwith give Borrower notice thereof in writing specifying such Event(s) of Default, or such event and thereupon the entire Outstanding Amount shall become due and payable forthwith and the Lender shall be entitled to enforce and recover the Loan with interest, Penal Chargesand all other amounts due and payable under this Terms & Conditions.
 - यदि डिफॉल्ट की घटना या कोई घटना, जो नोटिस या समय चूक या दोनों के बाद, डिफॉल्ट की घटना बनती है, तो ऋणदाता तुरंत ऋणी को डिफॉल्ट की ऐसी घटना (घटनाओं) या ऐसी घटना को निर्दिष्ट करते हुए लिखित नोटिस देगा, और संपूर्ण बकाया राशि तत्काल देय हो जाएगी, और ऋणदाता ब्याज, जुर्माना/दंडात्मक शुल्क और भुगतान योग्य और देय अन्य सभी राशियों के साथ ऋण को लागू करने और प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (b) Notwithstanding anything to the contrary in this Terms & Conditions, Lender's right to recall the Loan shall be without prejudice and in addition to the right to charge Penal Charges and/or Interest
 - इन नियमों और शर्तों में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, ऋणदाता का ऋण वापस लेने का अधिकार बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा और जुर्माना/दंडात्मक शुल्क और/या ब्याज लगाने के अधिकार के अतिरिक्त होगा।
- (c) Upon the occurrence of anyone or more of the Events of Default, the Lender through its officers, agents, attorneys, nominees etc. shall have the right (without prejudice to any other rights under this Terms & Conditions) to take anyone or more than one of the following actions without specific intervention of the Court or any Court order
 - डिफॉल्ट की किसी भी या सभी घटनाओं के घटित होने पर, ऋणदाता को अपने अधिकारियों, एजेंटों, सॉलिसिटरों, नामांकितों आदि के माध्यम से कोई भी अधिकार या निम्नलिखित सभी कार्रवाइयां, न्यायालय के विशिष्ट हस्तक्षेप या किसी न्यायालय आदेश के बिना प्राप्त करने का अधिकार होगा (इन नियमों और शर्तों के तहत किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना)
 - i. Charge a Penal Charge जुर्माना/दंडात्मक शुल्क लगाना
 - ii. any other applicable charges including bounce charges or charges levied by the banks or government authority.
 - कोई अन्य प्रासंगिक लागत जैसे बाउंस शुल्क या बैंकों या सरकारी संस्था द्वारा निर्धारित जुर्माना।
 - iii. Revise the applicable Interest Rate. लागू ब्याज दर में परिवर्तन करना।
 - iv. Without prejudice to the aforesaid right, Lender may take recourse to any other remedy as provided in Law, and/or as may be deemed fit by Lender.

उपरोक्त अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाता कानून द्वारा अधिकृत और/या ऋणदाता द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य उपाय को अपना सकता है।

- v. In case of default or potential Event of Default by the Borrower, without prejudice to the rights of the Lender shall be entitled to communicate to/with any person(s) with a view to receive assistance of such person(s) in recovering the defaulted amount.
 - ऋणी द्वारा डिफॉल्ट या डिफॉल्ट की संभावित घटना की स्थिति में, ऋणदाता को डिफॉल्ट राशि की वसूली करने में ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) से मदद मांगने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने की अनुमति दी जाएगी।
- **8.3** Upon the occurrence of an Event of Default, the Lender and/or any of its group companies (including any subsidiaries of the Lender) are authorised at any time, without presentment, demand, protest or other notice of any kind to the Borrower or to any other person, any such notice being expressly waived, to set off and to appropriate and apply any and all monies lying or deposited or held by the Lender and/or any of its group companies (including any subsidiaries of the Lender).

डिफॉल्ट की घटना होने पर, ऋणदाता और/या उसकी कोई भी समूह कंपनी (ऋणदाता की किसी भी सहायक कंपनी सहित) ऋणदाता के पास पड़े या जमा किए गए या रखे गए किसी भी और सभी धन को समायोजित करने और उचित करने और लागू करने के लिए अधिकृत है और/ या इसकी किसी समूह कंपनी (ऋणदाता की किसी भी सहायक कंपनी सहित) को किसी भी समय, ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रस्तुति, मांग, विरोध या अन्य नोटिस के बिना, ऐसे किसी भी नोटिस को स्पष्ट रूप से माफ किया जा रहा है।

- **8.4** All costs including legal cost/lawyer's fees incurred by Lender after an Event of Default has occurred in connection with preservation of the Borrower's assets and/or collection of amounts due under this Terms & Conditions may be charged to the Borrower and be reimbursed to Lender by Borrower, as Lender shall specify.
 - ऋणी की संपत्ति के संरक्षण और/या इस नियम और शर्तों के तहत देय राशि की प्राप्ति के संबंध में डिफॉल्ट की घटना के बाद ऋणदाता द्वारा की गई सभी लागतें ऋणी से ली जा सकती हैं और ऋणी द्वारा ऋणदाता को प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जैसा कि ऋणदाता निर्दिष्ट करेगा।

8.5 Issue of certificates

प्रमाणपत्र जारी करना

The Lender may issue any certificate as regards payment of any amounts paid by the Borrower to the Lender in terms of this Terms & Conditions only if the Borrower has paid all amounts due under the Terms & Conditions to the Lender and the Borrower has complied with all the terms of this Terms & Conditions.

ऋणदाता इन नियम और शर्तों के तहत ऋणी द्वारा ऋणदाता को भुगतान की गई किसी भी राशि के भुगतान के बारे में कोई प्रमाण पत्र तभी जारी कर सकता है, जब ऋणी ने ऋणदाता को उन नियम और शर्तों के तहत देय सभी राशि का भुगतान कर दिया हो और सभी शर्तों का अनुपालन किया हो।

8.6 Waiver

छूट/अधित्याग

No delay in exercising or omission to exercise, any right, power or remedy accruing to Lender upon any breach or default by the Borrower under this Terms & Conditions or any other document, shall impair any such right, power or remedy of Lender, or shall be construed to be a waiver thereof or any acquiescence by it in any default, affect or impair any right, power or remedy of Lender in respect of any other default.

इन नियमों और शर्तों या किसी अन्य दस्तावेज़ के तहत ऋणी द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन या डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप ऋणदाता को मिलने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में कोई देरी या चूक ऐसे अधिकार, शक्ति या उपाय को ख़राब नहीं करेगी, या ऐसा नहीं माना जाएगा। किसी डिफॉल्ट में उसकी छूट या उसके द्वारा कोई सहमित, ऋणदाता के किसी अन्य अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या ख़राब नहीं किया जायेगा।

9. ASSIGNMENT

निय्क्ति/समन्देशन

The Borrower shall not be entitled to transfer or assign the Loan. The Borrower expressly recognizes and accepts that the Lender shall be absolutely entitled and shall have full power and authority in respect of the Loan to sell, assign or transfer in any manner, in whole or in part, and in such manner and on such terms as the Lender may decide, including reserving a right to the Lender to retain its power hereunder to proceed against the Borrower jointly or severally with such purchaser, assignee or transferee, any or all outstanding and dues of the Borrower to any third party of the Lender's choice without reference to or without written intimation to the Borrower. In such event, the Borrower shall substitute the remaining repayment instruments in favour of the transferee/ assignee if called upon to do so by the Lender. Any such action and any such sale, assignment or transfer shall bind the Borrower to accept such third party as creditor exclusively or as a joint creditor with the Lender, or as creditor exclusively with the right to the Lender to continue to exercise all powers hereunder on behalf of such third party and pay over such outstanding and dues to such third party and/or to the Lender as the Lender may direct.

ऋणी को ऋण हस्तांतिरत करने या आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऋणी स्पष्ट रूप से मानता है और सहमत है कि ऋणदाता पूरी तरह से हकदार होगा और उसके पास ऋण को किसी भी तरीके से, पूर्ण या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों पर बेचने, आवंटित करने या स्थानांतिरत करने का पूरा अधिकार और अधिकार होगा जो ऋणदाता तय कर सकता है, जिसमें अधिकारों को सुरक्षा करना भी शामिल है। ऐसे क्रेता, समनुदेशिती, या अंतरिती के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग ऋणी के खिलाफ ऋणी के किसी भी या सभी बकाया और ऋणदाता की पसंद के किसी भी तीसरे पक्ष को ऋणी के संदर्भ या लिखित सूचना के बिना आगे बढ़ने का ऋणदाता का अधिकार है। यदि ऋणदाता ऐसा अनुरोध करता है, तो ऋणी को शेष पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती उपकरणों को अंतरिती/असाइनी के पक्ष में प्रतिस्थापित करना होगा। ऐसी कोई भी कार्रवाई, साथ ही ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, या स्थानांतरण, ऋणी को ऐसे तीसरे पक्ष को विशेष रूप से ऋणदाता के रूप में या ऋणदाता के साथ एक संयुक्त ऋणदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए ऋणदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए ऋणदाता के रूप में स्वीकार करना है। ऐसे तीसरे पक्ष की ओर से यहां सभी शक्तियां दी जाएंगी और ऐसे तीसरे पक्ष और/या ऋणदाता को ऐसे बकाया और देय राशि का भगतान किया जाएगा जैसा कि ऋणदाता निर्देशित कर सकता है।

10. CONFIDENTIALITY

गोपनीयता

10.1 The Lender shall exercise care while handling any confidential information. However, the Borrower

ऋणदाता को किसी भी निजी जानकारी को संभालते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी ओर, ऋणी

acknowledges and accepts that the Lender shall be entitled to disclose information (i) to the Lender's affiliates,(ii) to prospective transferees or purchasers of any interest in the Loan, (iii) as required by law or any government order or direction including disclosure as maybe necessary to perform or fulfill any requirement specified by the RBI, (iv) as deemed necessary by the Lender while exercising its remedies under the Transaction Documents. the Lender

shall also be entitled to disclosure without any notice to the Borrower all or any information/documents or the data including but not limited (a) information and data relating to the Borrower; (b) the information or data relating to any credit facility availed of/to be availed by the Borrower; (c) default, if any, committed by the Borrower, for protecting its interests to Income Tax authorities, CIC, Credit Rating Agencies or any other Government or any other Regulatory Authorities/Bodies/ Departments/authorities as and when so demanded. The Borrower hereby specifically waives the privilege of privacy and defamation.

सूचित करता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता जानकारी का खुलासा कर सकता है (i) ऋणदाता के सहयोगियों को, (ii) संभावित हस्तांतरितियों या ऋण में किसी भी रुचि के खरीदार को, (iii) कानून या किसी सरकारी आदेश या निर्देश के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण सहित। आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किसी भी आवश्यकता को पूरा करने या पूरा करने के लिए आवश्यक हो

जैसा कि कानून या प्रकटीकरण सहित किसी भी सरकारी आदेश या निर्देश के अनुसार अपेक्षित हो, जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किसी भी आवश्यकता को पूरा करने या पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और (iv) लेन-देन दस्तावेजों के तहत अपने उपायों का प्रयोग करते समय ऋणदाता आवश्यक समझे। ऋणदाता, ऋणी को बिना किसी सूचना के, सभी या किसी भी जानकारी/दस्तावेज या डेटा का खुलासा करने का भी हकदार होगा, जिसमें (a) ऋणी से संबंधित जानकारी और डेटा शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है; (b) ऋणी द्वारा प्राप्त/प्राप्त की जाने वाली किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा; और (c) आयकर अधिकारियों, सीआईसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अपने हितों की रक्षा के उद्देश्य से ऋणी द्वारा की गई चूक, यदि कोई हो, तो ऋणी स्पष्ट रूप से गोपनीयता और मानहानि का अधिकार छोड़ देता है।

10.2 The Borrower shall be solely responsible and liable to ensure that the use of name, password, and credentials (collectively "Confidential Details") for securely accessing the Digital Lending Application, are kept confidential and not disclosed to any third party. Further the Borrower shall take all possible care to prevent discovery of such Confidential Details by any person, failing which the Lender shall not be liable for any loss/damage arising as a consequence thereof.

ऋणी यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह है कि डिजीटल ऋण आवेदन तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए ऋणी की पहचान, पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स (सामूहिक रूप से "गोपनीय विवरण") का उपयोग गुप्त रहे और किसी तीसरे पक्ष को प्रकट न किया जाए। इसके अलावा, ऋणी को किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे गोपनीय विवरण की खोज को रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरतनी होंगी, ऐसा न करने पर ऋणदाता इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

11. FURTHER ASSURANCES

अतिरिक्त आश्वासन

- 11.1 The Borrower undertakes to indemnify and keep the Lender indemnified in respect of all statements, representations, warranties, and undertaking made by the Borrower's in this Terms & Conditions and any other documents submitted by him/her.
 - ऋणी इस नियम और शर्तों और उसके द्वारा दिए गए किसी भी अन्य दस्तावेज में ऋणी द्वारा किए गए किसी भी बयान, अभ्यावेदन, वारंटी और उपक्रमों के लिए क्षतिपूर्ति करने और ऋणदाता को हानिरहित रखने के लिए सहमत है।
- 11.2 In addition to the obligations and documents which the Lender expressly require the Borrower to execute, deliver and perform, the Borrower shall execute, deliver and perform, such further acts or documents which the Lender may reasonably require to effectuate the purposes of this Terms & Conditions or any of the other Transaction Documents.

ऋणदाता द्वारा स्पष्ट रूप से आवश्यक दायित्वों और दस्तावेजों के अलावा, ऋणी किसी भी अतिरिक्त कार्य या दस्तावेजों को निष्पादित, वितरित और निष्पादित करेगा, जिनकी ऋणदाता को इस नियम और शर्तों या किसी अन्य लेनदेन दस्तावेजों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।

12. NOTICE

नोटिस

12.1 All notices or other communications under or in connection with the Borrower's dues and/or the Terms & Conditions will be deemed to be effective when delivered personally or if dispatched by post, the third day from the date of dispatch or if sent through an e-mail/mobile number when sent. Provided, however, that no notice or communication to Lender shall be effective unless actually received and acknowledged by Lender. Notices or communication may be made to such other address as may be designated by the Borrower and Lender in writing to each other. In the event of any failure by the Borrower to notify Lender in writing of any changes in his/her/their contact address or details, service of a notice/correspondence to the address specified hereto shall be deemed to be proper and sufficient service on the Borrower irrespective of whether or not such notice shall be returned "unserved/undelivered" to Lender.

ऋणी के बकाया और/या नियम व शर्तों से संबंधित सभी सूचनाएं या अन्य संचार तब प्रभावी माने जाएंगे जब उन्हें भौतिक रूप से वितिरत किया जाएगा या डाक द्वारा भेजा जाएगा, डिलीवरी की तारीख से तीसरे दिन, या जब ई-मेल/मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। हालाँकि, ऋणदाता को कोई भी नोटिस या संचार तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा जब तक कि ऋणदाता उसे प्राप्त और स्वीकार न कर ले। नोटिस या संचार ऋणी और ऋणदाता द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट किसी अन्य पते पर भेजा जा सकता है। यदि ऋणी अपने संपर्क पते या विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में ऋणदाता को लिखित रूप में सूचित करने में विफल रहता है, तो यहां निर्दिष्ट पते पर नोटिस/पत्राचार की सेवा को ऋणी के लिए उचित और पर्याप्त सेवा माना जाएगा, चाहे वह कुछ भी हो। ऐसा नोटिस ऋणदाता को "बिना प्रेषित किए/बिना वितिरत किए" लौटा दिया जाता है।

- 12.2 Further, the Borrower agree that any instruction issued by him/ them OR any communication received by him/ them from the Lender or its authorised agent including LSP through any of the following modes of communications shall be construed as request, instruction, acceptance, acknowledgment, notice, delivery of notice, as the case may be, under this Terms & Conditions:
 - इसके अलावा, ऋणी इस बात से सहमत है कि उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या ऋणदाता या एलएसपी सहित उसके अधिकृत एजेंट से या इन नियमों और शर्तों के तहत संचार के निम्नलिखित किसी भी माध्यम से प्राप्त किसी भी संचार को अनुरोध, निर्देश, पावती, नोटिस, नोटिस की डिलीवरी, जैसा भी मामला हो, स्वीकृति के रूप में माना जाएगा:
 - (a) Any notification, message, instruction, acknowledgement, communication, or acceptance sent from or received on the Email address; Mobile Number of the Borrower registered with the Lender as mentioned in the **Schedulehereto**;
 - ऋणदाता द्वारा ऋणी के ईमेल पते पर भेजी या प्राप्त की गई कोई भी अधिसूचना, संदेश, निर्देश, पावती, संचार या स्वीकृति; ऋणी का मोबाइल नंबर जो **यहां अनुसूची** में निर्दिष्ट अनुसार ऋणदाता के साथ पंजीकृत है;
 - (b) Any notification, message, instruction, acknowledgement, communication, or acceptance sent on the mobile application managed and operated by the Lender or its group companies/affiliates, business partners and accessible by the Borrower.

ऋणदाता या उसके समूह की कंपनियों/सहयोगियों, व्यापार भागीदारों के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भेजी गई और ऋणी को उपलब्ध कराई गई कोई भी अधिसूचना, संदेश, निर्देश, पावती, संचार या स्वीकृति।

12.3 Further, where the Lender is facing any difficulty in providing a notice to the Borrower, the Borrower authorize the Lender to provide such notice to the 'reference', details of whom are provided in the , or to any other family, friend or place of work. Any expenses incurred by the Lender for sending any notices to the Borrower shall be borne by the Borrower. The Lender may exercise this option at its sole discretion, and nothing herein shall be construed to compel the Lender to provide notices in such manner.

इसके अलावा, यदि ऋणदाता ऋणी को नोटिस देने में असमर्थ है, तो ऋणी ऋणदाता को 'संदर्भ' में ऐसे नोटिस प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है, जिसका विवरण या किसी अन्य परिवार, मित्र या कार्यस्थल पर निर्दिष्ट है। ऋणी को अधिसूचना जारी करने में ऋणदाता द्वारा भुगतान की गई किसी भी लागत के लिए ऋणी जिम्मेदार है। ऋणदाता इस विकल्प का उपयोग अपने विवेक से कर सकता है, और इस अनुभाग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऋणदाता को इस तरीके से सूचनाएं देने के लिए बाध्य करे।

13. CONSENT TO DISCLOSURE

प्रकटीकरण के लिए सहमति

- 13.1 The Borrower understand that as a pre-condition relating to grant of Loan to the Borrower the Lender requires the consent of the Borrower for disclosure by the Lender of information and data relating to Borrower, of the Loan availed/be availed of by Borrower, obligations assumed/to be assumed by Borrower in relation thereto and default if any, committed by Borrower, in discharge thereof.
 - ऋणी समझता है कि ऋणी को ऋण देने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में, ऋणदाता को ऋणी से संबंधित जानकारी और डेटा का खुलासा करने के लिए ऋणी की सहमति की आवश्यकता होती है, ऋणी द्वारा लिया गया / लिया जाने वाला ऋण, ग्रहण किए गए दायित्व / उसके संबंध में ऋणी द्वारा ग्रहण किया जाना, और उसके निर्वहन में ऋणी दवारा की गई कोई भी चुक, यदि कोई हो।
- 13.2 Accordingly, the Borrower has no objection to the disclosure by the Lender of all or any such, परिणामस्वरूप, ऋणी को ऋणदाता द्वारा सभी या ऐसे कोई भी खुलासा करने पर कोई आपित नहीं है,
- (a) information and data relating to Borrower; ऋणी से संबंधित जानकारी और डेटा;
- (b) information or data relating to any credit facility availed/to be availed by Borrower; ऋणी दवारा प्राप्त/प्राप्त की जाने वाली किसी क्रेडिट स्विधा से संबंधित जानकारी या डेटा;
- (c) information and data relating to obligations assumed by Borrower in relation to the Loan/credit facility(ies) granted/to be granted the Lender; and ऋणदाता द्वारा दिए गए/दी जाने वाली ऋण/क्रेडिट सुविधा(सुविधाओं) के संबंध में ऋणी के दायित्वों से संबंधित जानकारी और डेटा: और
- information and data relating to default, if any committed by Borrower in the discharge of such obligation, as the Lender may deem appropriate and necessary to disclose and furnish to any agency as the Lender feels appropriate and proper or as authorized by RBI.
 - डिफॉल्ट से संबंधित जानकारी और डेटा, यदि कोई दायित्व के प्रदर्शन में ऋणी द्वारा प्रतिबद्ध है, तो ऋणदाता उचित समझे और ऐसी एजेंसी को प्रकट करना और प्रसारित करना आवश्यक समझे जैसा कि ऋणदाता ठीक और उचित समझता है या आरबीआई दवारा अधिकृत है।
- (e) default, if any, committed by the Borrower, in discharge of such obligation as the Lender may deem appropriate and necessaryto Lender group companies/ banks/ financial institutions /agencies/ statutory bodies/ tax authorities/CIC/NHB/CERSAI/Government Authority and any

other agency/credit bureau authorized in this behalf by RBI/NHB may deem necessary or appropriate as may be require;

ऐसे दायित्व के निर्वहन में ऋणी द्वारा कोई चूक, जिसे ऋणदाता समूह कंपनियों/बैंकों/वितीय संस्थानों/एजेंसियों/वैधानिक निकायों/कर अधिकारियों/ सीआईसी/ एनएचबी/ सीईआरएसएआई/ सरकारी प्राधिकरण और किसी अन्य एजेंसी/क्रेडिट के लिए उचित और आवश्यक समझे जैसा आरबीआई/एनएचबी द्वारा इस संबंध में अधिकृत ब्यूरो आवश्यकतानुसार आवश्यक या उचित समझ जाता है;

13.3 Notwithstanding anything to the contrary contained herein or any provisions of any of the laws, the Borrower as a precondition of the Loan given to the Borrower by the Lender, agrees that, in case, the Borrower commits default in the repayment of the amount of the Loan and/or interest thereon or any of the agreed Instalments on the as set out in the Repayment Schedule the Lender and/or the Reserve Bank of India, shall have an unqualified right to disclose or publish the name of the Borrower as 'defaulters' in such manner and through such medium as the Lender or Reserve Bank of India in their absolute discretion may think fit.

यहां निहित किसी भी विपरीत बात या किसी भी कानून के प्रावधानों के बावजूद, ऋणदाता द्वारा ऋण लेने वाले को दिए गए ऋण की एक पूर्व शर्त के रूप में सहमत है, कि यदि ऋण लेने वाला ऋण की

लेने वाले को दिए गए ऋण की एक पूर्व शर्त के रूप में सहमत है, कि यदि ऋण लेने वाला ऋण की राशि और/या उस पर ब्याज चुकाने में विफल रहता है या पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती अनुसूची में निर्धारित किसी भी सहमत किस्त पर, ऋणदाता और/या भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ऋणी के डिफॉल्ट का खुलासा करने या प्रकाशित करने का अयोग्य करने का अधिकार होगा जो तरीके और माध्यम जिसे ऋणदाता या भारतीय रिज़र्व बैंक अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे।

14.MISCELLANEOUS

विविध

14.1 The Borrower requests the Lender to rely upon, act or omit to act in accordance with any directions, instructions and/ or other communication given in connection with the Loan by email or other electronic means by the Borrower ("Electronic Instruction"). The Borrower is aware that electronic communications involve certain risks including unauthorized alteration of data and/ or unauthorized access by third parties thereof. The Lender may (but shall not be obliged to) act as aforesaid without inquiry as to the identity or authority of the Borrower giving or purporting to give any Electronic Instruction or as to the authenticity of any electronic message and may treat the same as fully authorized by and binding on the Borrower. The Borrower hereby further agrees to indemnify the Lender and keep them at all times indemnified from and against all actions, suits, proceedings, costs, claims, demands, charges, expenses, losses and liabilities howsoever arising in consequence of or in any way related to the Lender having acted or omitted to act in accordance with or pursuant to any Electronic Instruction.

ऋणी अनुरोध करता है कि ऋणदाता ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("इलेक्ट्रॉनिक निर्देश") द्वारा ऋण के संबंध में ऋणी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी निर्देश, निर्देश और/या अन्य संचार पर भरोसा करता है, उस पर कार्य करता है या उसके अनुसार कार्य करने में विफल रहता है। ऋणी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार में कुछ खतरे शामिल हैं, जैसे अनिधकृत डेटा छेड़छाड़ और/या अन्य पक्षों द्वारा अनिधकृत पहुंच। ऋणदाता किसी भी इलेक्ट्रॉनिक निर्देश या किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश की प्रामाणिकता देने या देने के लिए ऋणी की पहचान या अधिकार पर सवाल उठाए बिना ऊपर वर्णित अनुसार कार्य कर सकता है (लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है), और इसे पूरी तरह से ऋणी पर अधिकृत और बाध्यकारी मान सकता है। ऋणी ऋणदाता के कार्य करने या विफल होने से संबंधित किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी कार्यों, मुकदमों, कार्यवाही, लागतों, दावों, मांगों, आरोपों, खर्चों,

हानियों और देनदारियों से ऋणदाता को क्षतिपूर्ति देने और क्षतिपूर्ति रखने के लिए सहमत है जिस इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के अन्सार कार्य किया है या कार्य करने से चूक गया है।

14.2 **Amendments:** This Terms & Conditions may be amended by the Lender at any time. Any such amendment shall take effect only prospectively i.e. upon the amendment of the Terms & Conditions. However, the Lender shall upon such variation or amendment being made, inform the Borrower in respect of any variation or amendment in the Terms & Conditions and/or other charges as are applicable to the Loan.

संशोधन: ऋणदाता किसी भी समय इन नियमों और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन केवल भावी रूप से यानी नियम और शर्तों में संशोधन होने पर ही प्रभावी होगा। हालाँकि, इस तरह के बदलाव या संशोधन पर, ऋणदाता ऋण लेने वाले को नियम और शर्तों और/या ऋण पर लागू किसी भी शुल्क में ऐसे बदलाव या संशोधन के बारे में सूचित करेगा।

- 14.3 Governing Law and Jurisdiction: This Terms & Conditions, including all matters relating to its validity, construction, performance, and enforcement, shall be governed by, and construed in accordance with Indian law. The courts at the place as detailed in the Schedule hereto shall have non-exclusive jurisdiction in relation to any matter arising under or in connection with the Terms & Conditions or any arrangement entered into pursuant to the Terms & Conditions. However, the Parties hereby agree, confirm and undertake that Lender has a right to file its claim in relation to Outstanding Amount or any other connected matter(s) as mentioned in the Terms & Conditions in any other Court of competent jurisdiction in India at its sole discretion. शासी कानून और क्षेत्राधिकार: यह नियम और शर्तें, इसकी वैधता, व्याख्या, प्रदर्शन और प्रवर्तन से संबंधित सभी पहलुओं सहित व्याख्या, भारतीय कानून के अनुसार की जाएंगी। नियम और शर्तों के तहत या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मृद्दे या नियम और शर्तों के अनुसार किए गए किसी समझौते के संबंध में, यहां अनुसूची में निर्दिष्ट स्थान पर अदालतों के पास गैर-विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा। हालाँकि, पार्टियाँ इस बात से सहमत हैं, पृष्टि करती हैं और वचन देती हैं कि ऋणदाता को अपने विवेक पर, बकाया राशि या किसी अन्य संबंधित मामले के संबंध में अपना दावा भारत में सक्षम क्षेत्राधिकार के अन्य न्यायालय में दायर करने का अधिकार है, जैसा कि नियम और शर्तों में दर्शाया गया है।
- 14.4 Indemnity: The Borrower unconditionally and irrevocably agree to indemnify and reimburse and hold the Lender free and harmless against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, suits, costs, expenses, Disbursements, direct or indirect claims including any third party claims for damages incurred as a consequence of occurrence of an Event of Default, actions, proceedings in the event of any act of omission and commission by the Borrower in connection with the Loan & the Transaction Documents.

 शितपूर्ति: ऋणी बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से ऋणदाता को किसी भी और सभी देनदारियों, दायित्वों, हानियों, क्षित, दंड, मुकदमे, लागत, व्यय, संवितरण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दावों से मुक्त और हानिरहित रखने के लिए सहमत होता है जिसमें कोई भी तृतीय-पक्ष शामिल है, जो ऋण और डिफॉल्ट की घटना के घटित होने के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के लिए दावे, ऋण लेने वाले के संबंध में चूक और कमीशन के किसी भी कार्य की स्थित में कोई कार्रवाई करता है।
- 14.5 **Dispute Resolution:** Notwithstanding anything to the contrary contained herein, any disputes, differences and / or claims or question arising out of or relating to this contract or in any way

touching or concerning the same or as to constructions, meaning or effect thereof or as to the right, obligations and liabilities of the parties hereunder shall be referred to and settle by arbitration, to be held in accordance with the provision of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, or any statutory amendments thereof administered electronically/physically, by the sole arbitrator to be appointed by the Lender. The juridical seat or venue of arbitration shall be at such place as stated in the **Schedule** hereto, and the language of the arbitration shall be English. The law governing the arbitration proceedings shall be Indian Law. The decision of the arbitrator shall be final and binding on the parties.

विवाद समाधान: यहां निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, इस अनुबंध से संबंधित या उससे संबंधित या किसी भी तरह से संबंधित, या निर्माण, अर्थ, या प्रभाव के संबंध में कोई भी विवाद, मतभेद, और/या दावे या प्रश्न उसके, या यहां पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों के संबंध में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा संदर्भित और निपटारा किया जाएगा, जिसका उल्लेख यहां अनुसूची में किया गया है, या एकमात्र मध्यस्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक/भौतिक रूप से प्रशासित उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार किया जाएगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थता प्रक्रियाएं भारतीय कानून द्वारा शासित होंगी। मध्यस्थ का फैसला अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी है।

- 14.6 **Personal Data of the Borrower:** The Borrower hereby agrees that his or her Personal Data will be collected, used, disclosed and/or processed by the Lender and its affiliates and the LSP for one or more of the following purposes:
- 14.7 **ऋणी का व्यक्तिगत डेटा:** ऋणी इसके द्वारा स्वीकार करता है कि ऋणदाता और उसके सहयोगी और एलएसपी निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए उसके व्यक्तिगत डेटा को एकत्र, उपयोग, खुलासा और/या संसाधित कर सकते हैं:
 - i. administering and/or managing the relationship and/or account(s) with the Lender;
 - ii. ऋणदाता के संबंध और/या खाते(खातों) का संचालन और/या रखरखाव करना;
 - iii. carrying out due diligence or other screening activities (including background checks) in accordance with legal or regulatory obligations or risk management procedures (including but not limited to those designed to combat financial crime, "know-your customer", anti-money laundering, counter-terrorist financing or anti-bribery), that may be required by law or that may have been put in place by the Lender; कानूनी या विनियामक दायित्वों या जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुसार उचित
 - परिश्रम या अन्य स्क्रीनिंग गतिविधियाँ (पृष्ठभूमि जाँच सहित) करना (वितीय अपराध से निपटने के लिए डिज़ाइन की गई लेकिन जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, "अपने ग्राहक को जानें," एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर) -आतंकवादी वित्तपोषण, या रिश्वत-विरोधी) जो कानून द्वारा आवश्यक हो सकता है या जिसे ऋणदाता ने लागू किया हो;
 - iv. dealing in any matters relating to the services and mailing of correspondence, statements, invoices, confirmations, information, reports, or notices, which could involve disclosure of certain Personal Data to bring about delivery of the same; सेवाओं और पत्रों, बयानों, चालानों, पुष्टिकरणों, सूचना, रिपोर्टों या नोटिसों के प्रेषण से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटना, जिसके प्रेषण के लिए कुछ व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है:
 - v. the recovery of any and all amounts owed to the Lender; ऋणदाता को देय किसी भी और सभी रकम की वसूली;
 - vi. the process of reviewing and approving credit/financing and approving the account(s), and the conduct of initial and anticipatory credit/financing checks and assessments, relevant checks, ongoing assessment, and verification of ongoing credit/financing worthiness and standing;

क्रेडिट/वित्तपोषण और खाते(खातों) की जांच और अधिकृत करने की प्रक्रिया, साथ ही प्रारंभिक और प्रत्याशित क्रेडिट/वित्तपोषण जांच और मूल्यांकन, प्रासंगिक जांच, चल रहे मृल्यांकन, और चल रहे क्रेडिट/वित्तपोषण योग्यता और स्थिति का सत्यापन;

- vii. preventing, detecting, and investigating fraud, misconduct, any unlawful action, or omission, whether relating to the application or any other matter relating to the account(s) of yourself; and/or
 - धोखाधड़ी, कदाचार, किसी भी अवैध कार्रवाई या चूक को रोकना, पता लगाना और जांच करना, चाहे आवेदन से संबंधित हो या आपके खाते से संबंधित कोई अन्य मामला हो; और/या
- viii. managing the Lender's infrastructure and business operations, and complying with policies and procedures that may be required by law or that may have been put in place by the Lender, including those relating to auditing, finance and accounting, billing and collections IT systems (together referred as "Purposes").

ऋणदाता के बुनियादी ढांचे और व्यवसाय संचालन का प्रबंधन करना, साथ ही कानून द्वारा लागू या ऋणदाता द्वारा कार्यान्वित नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना, जैसे ऑडिटिंग, वित और लेखांकन, बिलिंग और संग्रह आईटी सिस्टम से संबंधित (सामृहिक रूप से "उददेश्य" के रूप में जाना जाता है)।

The Borrower hereby acknowledges and agrees that his or her Personal Data may be disclosed by the Lender to the following third parties for one or more of the above Purposes: ऋणी मानता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता उपरोक्त एक या अधिक उद्देश्यों के लिए अपने व्यक्तिगत डेटा को निम्नलिखित तृतीय पक्षों को प्रकट कर सकता है:

- i. the Lender's group companies and between each of them;
- ii. ऋणदाता समूह की कंपनियाँ और उनमें से प्रत्येक के बीच;
- iii. to the Lender's (or the Lender's Group Companies') third party Lending Service Providers or agents including but not limited to those who provide administrative, telecommunications, computer, payment clearing or other services to the Lender in connection with the operation of its business, mailing houses, telecommunication companies, marketing agents, call centres, data processing companies and information technology companies;
- iv. तृतीय-पक्ष ऋण सेवा प्रदाता या ऋणदाता (या ऋणदाता समूह की कंपनियां) के एजेंट, जिनमें वे लोग शामिल हैं, जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो ऋणदाता को उसके व्यवसाय के संचालन, मेलिंग हाउस, दूरसंचार कंपनियां, मार्केटिंग एजेंट, कॉल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग कंपनियां, और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के संबंध में प्रशासनिक, दूरसंचार, कंप्यूटर, भ्गतान समाशोधन, या अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं।
- v. any valuer, credit/financing reference agency, rating agency, business partner, bank, or financial institution, and, in the event of default, to debt collection agencies; डिफॉल्ट के मामले में कोई भी मूल्यांकनकर्ता, क्रेडिट/वित्तपोषण संदर्भ एजेंसी, रेटिंग एजेंसी, व्यापार भागीदार, बैंक, या वितीय संस्थान, और ऋण संग्रह एजेंसियां;
- vi. any credit/financing bureau; कोई क्रेडिट या वित्तपोषण ब्यूरो;
- vii. to the Lender's auditors and professional advisors including its solicitors; ऋणदाता के लेखा परीक्षकों और पेशेवर सलाहकारों को, जिसमें उसके वकील भी शामिल हैं:
- viii. any person to whom the Lender is under an obligation to make disclosure under the requirements of any law binding on the Lender;

कोई भी व्यक्ति जिसे ऋणदाता को ऋणदाता पर लगाए गए किसी भी कानून की शर्तों के तहत प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है;

- ix. any permitted assigns; and/or कोई भी अधिकृत असाइनमेंट; और/या
- x. to any regulatory body, government agency, statutory board, ministry, departments, or other government bodies and/or its officials.
- xi. किसी नियामक संस्था, सरकारी एजेंसी, वैधानिक बोर्ड, मंत्रालय, विभाग, या अन्य सरकारी निकायों और/या उसके अधिकारियों को।
- 14.8 **Termination:** This Terms & Conditions shall come into effect from the date of execution of this Terms & Conditions and shall terminate only upon the Borrower making full repayment to the Lender of the Outstanding Amount, payable by the Borrower to the Lender under this Terms & Conditions to the satisfaction of the Borrower.

समाप्ति: यह नियम और शर्तें निष्पादन की तारीख से प्रभावी होंगी और केवल तभी समाप्त होंगी जब ऋणी इस नियम और शर्तों के तहत ऋणी की संतुष्टि के लिए ऋणदाता द्वारा देय बकाया राशि का पूरा भुगतान कर देगा।

14.9 **Survival**: All provisions of this Terms & Conditions which by their very nature are intended to survive the expiry or termination of this Terms & Conditions shall survive the expiry or early termination of this Terms & Conditions in terms hereof.

उत्तरजीविता: इस नियम और शर्तों के सभी प्रावधान जो अपने स्वभाव से इस नियम और शर्तों की समाप्ति या समाप्ति से बचने के लिए अभिप्रेत हैं, वे इसके नियमों और शर्तों की समाप्ति या शीघ्र समाप्ति से बचे रहेंगे।

14.9 Classification of loan account as Special Mention Account (SMA) and Non-Performing Asset (NPA)

ऋण खातों को विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) या गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण Upon the occurrence of any payment default under this Loan, the Lender shall classify Borrower's loan account held with the Lender (Loan Account) in accordance with the prevailing RBI norms and guidelines.

यदि इस ऋण के तहत कोई भुगतान चूक होती है, तो ऋणदाता को वर्तमान आरबीआई नियमों और सिफारिशों के अनुसार ऋणदाता के पास मौजूद ऋण खाते (ऋण खाता) को वर्गीकृत करना होगा।

a) As per the current prevailing guidelines of RBI, Loan Account shall be classified as Special Mention Account (SMA) on the following basis:

वर्तमान आरबीआई नियमों के अनुसार, ऋण खातों को निम्नलिखित आधारों पर विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

	•	·
SMA categories	Sub-	Basis for classification – Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue
एसएमए	उप-	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान, या कोई अन्य राशि जो
श्रेणियाँ		पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय/विलंबित है
SMA-0		Upto 30 days 30 दिनों तक के लिए
SMA-1		More than 30 days and upto 60 days 30 दिन से अधिक और 60 दिन तक के लिए
SMA-2		More than 60 days and upto 90 days

- b) Further, the Loan Account shall be classified as Non-Performing Asset (NPA) where interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan;
 - इसके अलावा, यदि किसी सावधि ऋण पर ब्याज और/या मूल किश्तें 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है/अतिदेय है, तो ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में नामित किया जाएगा।
- c) Loan account classified as NPAs may be upgraded as 'standard' asset only if entire arrears of interest and principal Loan are paid by the Borrower. एनपीए के रूप में नामित ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्तियों में तभी परिवर्तित किया जा सकता है जब ऋणी दवारा सभी ब्याज और मृल बकाया का भगतान किया गया

Examples of SMA/NPA classification dates: एसएमए/एनपीए वर्गीकरण तिथियों के उदाहरण:

हो।

If due date of a loan account is March 31, 2021, and full dues are not received before the Lender runs the day-end process for this date, the date of overdue shall be March 31, 2021. If it continues to remain overdue, then this account shall get tagged as SMA-1 upon running day-end process on April 30, 2021 i.e. upon completion of 30 days of being continuously overdue. Accordingly, the date of SMA-1 classification for that account shall be April 30, 2021.

यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋणदाता द्वारा इस दिन की अंतिम प्रक्रिया पूरी करने से पहले पूरा बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय तिथि 31 मार्च, 2021 है। यदि विलम्ब हो जाता है, तो इस खाते को SMA-1 के रूप में लेबल कर दिया जाएगा, जब दिन-समाप्ति की प्रक्रिया 30 अप्रैल, 2021 को चलती है, यानी लगातार 30 दिनों की देरी के बाद। परिणामस्वरूप, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी।

Similarly, if the account continues to remain overdue, it shall get tagged as SMA-2 upon running day-end process on May 30, 2021 and if continues to remain overdue further, it shall get classified as NPA upon running day-end process on June 29, 2021.

इसी प्रकार, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन की समाप्ति प्रक्रिया के दौरान एसएमए -2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, और यदि यह आगे भी अतिदेय रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को दिन की समाप्ति प्रक्रिया के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

SCHEDULE

<u>अनुसूची</u>

The sanctioned details mentioned below shall be read with the Loan Terms and Conditions governing the Loan prescribed by the Lender in respect of the Loan.

यहां सूचीबद्ध स्वीकृत जानकारी को ऋण के संबंध में ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट ऋण नियमों और शर्तों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(i)	Application No./Loan ID आवेदन संख्या/ऋण आईडी		
(ii)	Loan Type ऋण प्रकार		
	Place of execution	Chennai, Tamil Nadu	
	निष्पादन स्थान	चेन्नई, तमिलनाडु	
(iii)	Purpose उददेश्य		
(iv)	Details of the Borrower/s ऋणी/ओं की संपर्क की जानकारी	a) Name नाम	
		b) Current Address वर्तमान पता	
		c) Permanent Address स्थायी पता	
		d) Email Address ई-ਸੇਕ ਧਗ	
		e) Mobile No. मोबाइल नं.	
(v)	Loan Amount (amount disbursed to the Borrower) (in Rupees)	<loan amount="" in="" words="">Only)</loan>	
	ऋण राशि (ऋणी को वितरित की जाने वाली राशि) (रुपये में)	र. <loan amount="" figure="" in="">/- (केवल रुपए <loan amount="" in="" words="">)</loan></loan>	
(vi)	Total interest charge during the entire tenure of the loan (in Rupees) ऋण की पूरी अवधि के दौरान लिया गया कुल ब्याज (रुपये में)	Rs. <interest amount="" borrower="" charged="" figure="" in="" to="">/- (Rupees <interest amount="" borrower="" charged="" the="" to="" words="">Only) 5. <interest amount="" borrower<="" charged="" td="" to=""></interest></interest></interest>	
(vii)	Other up-front charges (break-up of each component to be given below) (in Rupees) अन्य अग्रिम शुल्क (प्रत्येक घटक का विवरण नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)		
(a)	Processing fees (in Rupees) प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	<pre><insert %="" in="" processing="" terms=""> % of the Loan Amount + applicable taxes. (i.e. Rs. <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre>tax>/- (Rupees < processing fees in word</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></insert></pre>	

		inclusive of tax> Only)
		<insert %="" in="" processing="" terms=""> ऋण राशि पर</insert>
		% + लागू कर। (अर्थात् रु. <प्रोसेसिंग शुल्क
		अंकों में कर सहित>/- (केवल रुपए<प्रोसेसिंग
		शुल्क शब्दों में कर सहित>)
		The Processing Fees is a one-time fee and sha be deducted from disbursement amount. प्रोसेसिंग शुल्क एक बार लिया गया शुल्क है अं इसे संवितरित की गई राशि से काटा जाएगा।
		*In the event that the loan is foreclosed by the Borrower during the Cooling Off Period, <100%> of the Processing Fees shall be refunded back to the Borrower *उस स्थिति में जब ऋणी द्वारा क्लिंग ऑफ अविध के दौरान ऋण को बंद कर दिया जाता है, तो प्रोसेसिंग शुल्क का <100%> ऋणी को वापस
		कर दिया जाएगा।
©	Others (if any)	Nil
	अन्य (यदि कोई हो)	शून्य
(viii)	Net Disbursed Amount	Rs. <loan amount-processing="" disbursed<="" fee="" th=""></loan>
()	संवितरित की गई कुल राशि	to Borrower in figure>/- (Rupees <loan amount-processingfee="" borrower="" disbursed="" to="" words="">Only)</loan>
		₹. <loan amount-processing="" disbursed<="" fee="" td=""></loan>
		to Borrower in figure>/- (केवल रुपये <loan< td=""></loan<>
		Amount-processingfee disbursed to Borrower words>)
		*Interest will be applicable on the Loan Amount as communicated above
		*उपर्युक्त ऋण राशि पर ब्याज लगाया
		जाएगा जैसाकि ऊपर उल्लिखित किया गया
		है।
(ix)	Total amount to be paid by the Borrower ऋणी द्वारा भ्गतान की जाने वाली कुल राशि	Rs <total &="" along="" amount="" borrower<="" by="" fees="" interest="" payable="" processing="" td="" the="" with=""></total>
	J J	during the entire tenure in figures>/- (Rupees <total along="" amount="" interest<br="" with="">&processing fee payable by the Borrower during the entire tenure in words> Only) रु. <total &<br="" along="" amount="" interest="" with="">processing fees payable by the Borrower during the entire tenure in figures>/- (केवल रुपये <total along="" amount="" interest<br="" with="">&processing fee payable by the Borrower during the entire tenure in words>)</total></total></total>
(x)	Rate of Interest	<insert %="" apr="" in="" terms=""></insert>
<u>L</u>	L	

	ब्याज की दर	
(xi)	Annual Percentage Rate - Effective annualized interest rate (in percentage) (computed on net disbursed amount using IRR approach and reducing balance method) वार्षिक प्रतिशत दर - प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (आईआरआर उपागम और कम करने वाली शेष विधि का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर गणना)	Annualized Percentage Rate- <>% per annum वार्षिक प्रतिशत दर- <>% प्रति वर्ष
(xii)	Tenor of Loan ऋण की अवधि	<insert in="" loan="" months="" of="" tenure="" the="">months<insert in="" loan="" months="" of="" tenure="" the=""> महीने</insert></insert>
(xiii)	Repayment frequency by the borrower ऋणी द्वारा पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती की आवृत्ति	Daily दैनिक
(xiv)	Number of instalments of repayment पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती की किस्तों की संख्या	<insert edi="" no.="" of=""> equal daily instalments(Please refer to Repayment Scheduleattached)<insert edi="" no.="" of=""> समान दैनिक किश्तें(कृपया संलग्न पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौतीअन्सूची देखें)</insert></insert>
(xv)	Instalment Amount/ Equal Daily Instalment (in Rupees) किस्त की राशि / समान दैनिक किस्त (रुपये में)	Rs. <insert (as="" be)="" case="" daily="" equal="" figure="" figures="" in="" instalment="" may="" the="">/- (Rupees<insert (as="" be)="" case="" daily="" equal="" in="" instalment="" may="" the="" words=""> Only) र.<insert (as="" be)="" case="" daily="" equal="" figure="" figures="" in="" instalment="" may="" the="">/- (केवल रुपये <insert (as="" be)="" case="" daily="" equal="" in="" instalment="" may="" the="" words="">)</insert></insert></insert></insert>
(xvi)	Repayment Mode पुनर्भुगतान/अदायगी/चुकौती का मोड	Deduction of amount Instalment Amount or any other dues as per the Loan Agreement from the daily Settlement Amount** as per the instructions of the Borrower to Resilient Innovations Private Limited (offline payment aggregator of the Borrower) ("Offline PA"). ऋणी द्वारा रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी का ऑफ़लाइन भुगतान एग्रीगेटर) ("ऑफलाइन पीए") को दिए गए निर्देश के अनुसार दैनिक निर्धारण राशि** से ऋण समझौते के अनुसार किस्त राशि या किसी भी अतिरिक्त बकाया की कटौती। *Borrower hereby expressly, unconditionally and irrevocably authorizes the Offline PA to make such deduction of Instalment Amount and make pa yment directly to the Lender. *ऋणी स्पष्ट रूप से, पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से ऑफलाइन पीए को

		Г
		किस्त राशि में कटौती करने और ऋणदाता
		को सीधे भुगतान करने के लिए अधिकृत
		करता है।
		**Settlement Amount shall have the meaning defined under the Loan Agreement/Loan Terms and Conditions **निर्धारण राशि की परिभाषा को स्वीकृति
		l
		पत्र और ऋण समझौते में परिभाषित किया
	D + D + D + D + D	गया है।
	Details about the contingent charges	
(iv)	आकस्मिक शुल्कों के बारे में विवरण	[Insert the table]
(ix)	Penal Charges दंड शुल्क	[insert the table]
(x)	Rate of annualized penal charges in case of	Nil
	delayed payments (if any)	शून्य
	विलम्ब से भुगतान के मामले में वार्षिक जुर्माना	
	शुल्क की दर (यदि कोई हो)	
(xi)	Rate of annualized other penal charges (if any); (details to be provided)	
	वार्षिक आधार पर अन्य जुर्माना शुल्कों की दर	
	(यदि कोई हो); (विवरण प्रदान किया जाए)	
(xii)	Pre-Payment/	
	समय पूर्व-भुगतान/	
	Other Disclosures	
(:::)	अतिरिक्त जानकारी	days from the Hohyman of the
(xiii)	Cooling off/look-up period during which borrower shall not be charged any penalty on prepayment of loan	I
	क्लिंग ऑफ/लुक-अप अवधि जिसके दौरान ऋणी से	
	ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा	*Please note proportionate interest & other charges (other than pre-payment/foreclosure charges) will be levied during the Cooling Off period.
		*कृपया ध्यान रखें कि कूलिंग ऑफ अवधि के
		दौरान, आनुपातिक ब्याज और अन्य शुल्क (पूर्व
		भुगतान/फोरक्लोजर शुल्क के अलावा) का
		आकलन किया जाएगा।
(xiv)	Lending Service Provider	Resilient Digi Services Private Limited
	ऋण सेवा प्रदाता	रेजिलिएंट डिजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(xv)	Digital Lending Application डिजीटल ऋण एप्लिकेशन	Mobile based application, 'BharatPe' मोबाइल आधारित एप्लिकेशन 'BharatPe'
(xvi)	Details of LSP acting as recovery agent and authorized to approach the borrower	Resilient Digi ServicesPrivate Limited
	वसूली/रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और	रेजिलिएंट डिजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
	ऋणी से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का	
	विवरण	

	Name, designation, address and phone number of nodal grievance redressal officer designated specifically to deal with FinTech/ digital lending related complaints/ issues फिनटेक/डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों/मुद्दों के समाधान के लिए विशेष रूप से नियुक्त नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और फोन नंबर	
(xvii)	Governing Law & Seat and Venue of Arbitration शासी कानून और मध्यस्थता सीट और स्थान	Mumbai मुंबई

I Agree to the Loan Terms & Conditions मैं ऋण के नियम एवं शर्त स्वीकार करता हूँ।

Name	of	the	Borrower:
Tanne	OI.	uic	Donowci.

Date:

Time:

IP:

ऋणी का नाम:

तारीख:

समय:

आईपी:

By availing the Loan through the Digital Lending Application the Borrower hereby electronically sign andaccept these Loan Terms & Conditions and understand English Language& these Loan Terms & Conditions and agree to be legally bound by its terms. Borrower's acceptance of these Loan Terms & Conditions shall constitute your agreement to irrevocably accept and to be unconditionally bound by all the terms and conditions set out herein, and Borrower's acknowledgement and confirmation that this Loan Terms & Conditions (along with the Sanction Letter) have been duly read and fully understood by the Borrower.

ऋणी इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन ऋण नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करके स्वीकार करता है और अंग्रेजी भाषा और इन ऋण नियमों और शर्तों को समझता है और डिजीटल ऋण आवेदन का उपयोग करके ऋण प्राप्त करके इसकी शर्तों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत है, ऋणी की स्वीकृति इन ऋण नियमों और शर्तों को यहां दिए गए सभी नियमों और शर्तों द्वारा आपकी अपरिवर्तनीय स्वीकृति और बिना शर्त बाध्यकारी माना जाएगा, साथ ही ऋणी की स्वीकृति और पुष्टि भी होगी कि इस ऋण नियम और शर्तों (मंजूरी पत्र के साथ) को विधिवत रूप से पढ़ा गया है और ऋणी द्वारा पूरी तरह से समझा गया।

Signed and delivered by the Lender. ऋणदाता ने हस्ताक्षर करके दस्तावेज़ सौंप दिया।